UPKU010030802025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर।

उपस्थित–(दिनेश कुमार–II), एच०जे०एस०, (UP1862)

विशेष सत्र परीक्षण सं०–709/2025

उ०प्र० राज्य

.........अभियोजन पक्ष।

बनाम

मैनुद्दीन अंसारी पुत्र स्व० मोहम्मद हदीश अली,
साकिन–वार्ड नं०–7, सिद्धार्थनगर मल्लूडीह थाना कसया, जिला कुशीनगर।

.......अभियुक्त।

मु०अ०सं०–212/2025,
धारा–64(2),351(3)व
धारा–5 च/6 पाक्सो एक्ट,
थाना– कसया, जिला– कुशीनगर।

अभियोजन की ओर से विशेष शासकीय अधिवक्ता का नाम–श्री अजय गुप्ता व श्री फूलबदन ।
अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का नाम–श्री अतीक अब्बासी।

निर्णय

1– अभियुक्त मैनुद्दीन अंसारी का विचारण विशेष सत्र परीक्षण संख्या–709/2025, सरकार बनाम मैनुद्दीन अंसारी, मुकदमा अपराध संख्या–212/2025, धारा–64(2),351(3) बी०एन०एस० व धारा–5 च/6 पाक्सो एक्ट, थाना–कसया, जिला–कुशीनगर में विवेचक के द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किये जाने पर इस न्यायालय के द्वारा किया जा रहा है।

2– प्रस्तुत प्रकरण में भारतीय दण्ड संहिता की धारा–228 क एवं पाक्सो एक्ट की धारा–33(7) के प्रावधानों तथा विधि निर्णय पंजाब राज्य बनाम राम देव सिंह, ए०आई०आर० 2004 सुप्रीम कोर्ट 1290 में प्रतिपादित विधि व्यवस्था के दृष्टिगत पीड़िता के नाम का उल्लेख न करके उसे "**पीड़िता**" शब्द से सम्बोधित किया जायेगा तथा दं०प्र०सं० की धारा 327 के अनुसार प्रस्तुत मामले में कार्यवाही सम्पादित की जा रही है।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक, वादी मुकदमा अभिमन्यु राव के अनुसार, "मेरी लड़की/पीड़िता उम्र करीब 17 वर्ष, जो कृषक इण्टरमीडिएट कालेज में कक्षा 12 में पढ़ती है, उसी विद्यालय का अध्यापक मैनुद्दीन अंसारी आज दिनांक 07.04.2025

को मेरी लड़की के साथ स्कूल के कमरे में ही छेड़खानी करते हुए गलत काम किया है तथा वीडियो बनवाया और धमकी दिया कि हमारे साथ हमेशा ऐसे ही तुम्हे करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा। महोदय मेरी पुत्री घबराई हुई है। अतः निवेदन है कि मेरी सूचना अंकित कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।"

4— वादी मुकदमा अभिमन्यु राव की उक्त लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्त **मैनुद्दीन अंसारी** के विरूद्ध मुकामी थाना—कसया में अपराध संख्या—212/2025 पर धारा—64(2),351(3) बी०एन०एस० व धारा—3/4 पाक्सो एक्ट, में मुकदमा दर्ज हुआ।

5— प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा दौरान विवेचना वादी मुकदमा व अन्य साक्षीगण के बयानात अंकित किये गये। उपर्युक्त मामले की विवेचना उपरान्त विवेचक ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर पर्याप्त साक्ष्य पाते हुये अभियुक्त **मैनुद्दीन अंसारी** के विरूद्ध धारा—64(2),351(3) बी०एन०एस० व धारा—5 च/6 पाक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया।

6— यह कि दिनांक 25.06.2025 को अभियुक्त मैनुद्दीन अंसारी के विरूद्ध **धारा—64(2),351(3) बी०एन०एस० व धारा—5 च/6 पाक्सो एक्ट** के तहत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

7— अभियोजन पक्ष ने अपने कथन को साबित करने के लिये निम्नलिखित साक्षियों को परीक्षित कराया हैः—

क्रम सं०—	साक्षी संख्या	साक्षी का नाम
01	पी०डब्लू—1	पीड़िता पुत्री अभिमन्यु राव
02	पी०डब्लू—2	अभिमन्यु राव पुत्र स्व० परमहंस राव (वादी मुकदमा)
03	पी०डब्लू—3	हेड मोहर्रिर चन्द्रजीत यादव (एफ०आई०आर० लेखक)
04	पी०डब्लू—4	डॉ० विनिषा श्री (चिकित्सक)
05	पी०डब्लू—5	संतोष कुमार वर्मा (प्रधानाचार्य) (रिकार्ड के साक्षी)
06	पी०डब्लू—6	संतोष कुमार वर्मा (प्रधानाचार्य) (तथ्य के साक्षी)
07	पी०डब्लू—7	विज्ञानकर सिंह
08	पी०डब्लू—8	नागेन्द्र कुमार सिंह (उ०नि०)
09	पी०डब्लू—9	हेड कांस्टेबल मनोज कुमार
10	पी०डब्लू—10	कांस्टेबल आशुतोष कुमार सिंह

8— अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित अभिलेख दाखिल किये गये है, उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों को अभियोजन साक्षियों ने साबित किया, जिस पर नियमानुसार प्रदर्श डाले गये।

क्रं सं०	कागज संख्या	अभिलेख	साक्षी का नाम	साबित प्रदर्श
01	21 क/1	बयान धारा 183 बी०एन०एस०एस०	PW–1 पीड़िता	**प्रदर्श क–1**
02	4 क/4	मूल तहरीर	PW–2 वादी मुकदमा अभिमन्यु सिंह	**प्रदर्श क–2**
03	4 क/1 व 4 क/3	मूल एफ०आई०आर०	PW–3 हेड मोहर्रिर चन्द्रजीत यादव	**प्रदर्श क–3**
04	17 क/3	जी०डी नं०–02 दिनांकित 08.07.2025	PW–3 हेड मोहर्रिर चन्द्रजीत यादव	**प्रदर्श क–4**
05	9 क/6 ता 9 क/16	मेडिकल प्रपत्र/रिपोर्ट	PW–4 डॉ० विनिषा श्री	**प्रदर्श क–5**
06	24 क/1	एस०आर० रजिस्टर की प्रति	PW–5 संतोष कुमार वर्मा	**प्रदर्श क–6**
07	24 क/2	सारणियन पंजिका	PW–5 संतोष कुमार वर्मा	**प्रदर्श क–7**
08	5 क/1	नक्शा नजरी	PW–7 विज्ञानकर सिंह	**प्रदर्श क–8**
09	7 क/1	फर्द बरामदगी मोबाईल	PW–8 नागेन्द्र कुमार सिंह	**प्रदर्श क–9**
10	6 क/2	पीडिता के कपड़े की फर्द	PW–8 नागेन्द्र कुमार सिंह	**प्रदर्श क–10**
11	3 क/1 ता 3 क/4	आरोपपत्र	PW–7 विज्ञानकर सिंह	**प्रदर्श क–11**
	25 क/2	एफ०एस०एल० रिपोर्ट बावत मोबाईल	––	**प्रदर्श क–11/1**
	25 क/5	एफ०एस०एल० रिपोर्ट	––	**प्रदर्श क–12**

9– न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के बाद अभियुक्त मैनुद्दीन अंसारी का साक्ष्य अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक 10.10.2025 को लेखबद्ध किया गया है, जिसमें अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए कथन किया है कि आरोप गलत है।

पीड़िता व वादी मुकदमा के द्वारा गलत बयान दिया गया है। एफ०आई०आर० लेखक ने गलत कहानी के आधार पर मुकदमा लिखा है। साक्षी PW–4, PW–5, PW–7, PW–8, PW–9, PW–10 ने औपचारिक्ता पूर्ण की है। साक्षी PW–6 ने गलत बयान दिया है। एफ०एस०एल० रिपोर्ट में अभियुक्त की संलिप्तता नहीं है।प्रार्थी अध्यापक है, विद्यालय के अन्य अध्यापकों ने रंजिशन मुकदमा वादी व पीड़िता को आपस में षडयन्त्र कर उन्हें चढ़ाकर प्रार्थी के विरूद्ध मुकदमा फर्जी कहानी व वीडियो के आधार

पर लिखवा दिये। क्योंकि प्रार्थी विद्यालय में काफी सक्रिय अध्यापक था एवं प्रधानाचार्य होने के श्रेणी में था एळं प्रार्थी दूसरे समुदाय से था। प्रार्थी को झूठा फंसाया गया है।

10– मेरे द्वारा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष शासकीय अधिवक्ता (पॉक्सो एक्ट) तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का सूक्ष्मता से परिशीलन किया गया।

11– विद्वान विशेष शासकीय अधिवक्ता (पॉक्सो एक्ट) द्वारा बहस करते हुये कथन किया है कि अभियोजन के उक्त कथानक को साक्षीगणों के द्वारा युक्ति–युक्त सन्देह से परे अपने साक्ष्य से साबित किया गया है। घटना दिनांक 07.04.2025 के समय लगभग 11.00 बजे की है, वादी मुकदमा की नाबालिक लड़की पीड़िता जब स्कूल गयी थी, तो अभियुक्त मैनुद्दीन, जो कि स्कूल का अध्यापक था, ने उसे पानी लाने के लिए बोला, तथा मेज पर रखे समोसे को खाने के लिए कहा गया, पी़ड़िता ने समोसा खा लिया, पीड़िता जो कि बेहोशी जैसी हालत में हो गयी, उसके बाद पीड़िता के कपड़े उतारकर पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया, उक्त कृत्य का वीडियो बनाया गया, एवं धमकी दिया कि अगर वह किसी से कहेगी तो वीडियो वायरल कर देगा। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य अभियुक्त के विरूद्ध अपराध को युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए दण्डित करने का निवेदन किया गया।

12– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा इसके विपरीत तर्क करते हुये कथन किया कि बलात्कार जैसे अपराध में अभियोजन के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराया गया है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। पीड़िता के साक्ष्य विश्वसनीय प्रकृति का नहीं है। साक्ष्य में अनेक विरोधाभासी कथन हैं। इसी प्रकार पीड़िता के पिता अभिमन्यु राव का साक्ष्य भी विरोधाभासों से युक्त है। किस व्यक्ति के द्वारा मोबाईल से वीडियो बनाया गया है, इसे अभियोजन के द्वारा स्पष्ट नहीं कर पाया गया। कथित वीडियो क्लिप किस मोबाईल से तैयार किया गया, इस बारे में विवेचक ने कोई स्पष्ट राय और विवेचना सम्पादित नहीं किया गया। डाक्टर साक्षी के द्वारा पीड़िता को नशे में न होने का कथन किया है। वीडियो क्लिप में किसी का चेहरा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। घटना की कथित दिनांक विद्यालय में पीडिता की उपस्थिति के बावत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, वीडियो का सी०सी०टी०वी० फुटेज भी साक्ष्य के लिए संकलित नहीं किया गया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला से भी घटना साबित नहीं हो रही है। इन सारी परिस्थितियों में साक्ष्य के परीशिलन के पश्चात् अभियोजन अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है। अतः सन्देह का लाभ अभियुक्त को प्रदान करते हुए दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

13– न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्त **मैनुद्दीन अंसारी** के विरूद्ध धारा–**64(2),351(3) बी०एन०एस०** व **धारा–5 च/6 पॉक्सो एक्ट** का आरोप साबित कर पाया है या नहीं?

उपरोक्त मामले के निस्तारण हेतु सर्वप्रथम पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्य का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

14– उपरोक्त मामले में अभियुक्त पर यह आरोप है कि "वादी मुकदमा की नाबालिक लड़की/पीड़िता उम्र करीब 17 वर्ष, जो कृषक इण्टरमीडिएट कालेज में कक्षा 12 में पढ़ती है, उसी विद्यालय का अध्यापक मैनुद्दीन अंसारी दिनांक 07.04.2025 को उसकी लड़की के साथ स्कूल के कमरे में ही छेड़खानी करते हुए गलत काम किया है तथा

वीडियो बनवाया और धमकी दिया कि हमारे साथ हमेशा ऐसे ही तुम्हे करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर देगा।"

15– अभियोजन की ओर से उपरोक्त आरोप को साबित करने के लिये 10 साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराये गये है। न्यायालय को यह देखना है कि अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य पत्रावली पर आया है उससे मामला अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे साबित होता है या नहीं?

16– अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में **पी०डब्लू०–1** के रूप में साक्षी "**पीड़िता पुत्री अभिमन्यु राव"** को परीक्षित कराया गया है, उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "मैं स्कूल गयी थी। मेरे स्कूल के टीचर मैनुद्दीन अंसारी जो उप प्रधानाचार्य है। घटना दिनांक 07.04.2025 समय लगभग 11.00 बजे दिन का था। मैनुद्दीन अंसारी मुझसे पानी मांगे तो मैंने पानी लाकर दिया। पानी पी लिये। हमसे बोले कि मेज पर समोसा रखा है खा लो। जब मैंने समोसा खा ली तो मेरा सिर भारी होने लगा। मैं पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई थी। थोड़ा–थोड़ा होश था। मैनुद्दीन अंसारी मेरा कपड़ा उतारकर मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और चुपके उसका वीडियो बना लिये। मुझसे बोले अगर किसी से कहोगी तो मैंने तुम्हारा वीडियो बना लिया है, उसको वायरल कर दूंगा। बाद में मेरा वीडियो वायरल कर दिये। घटना के संबंध में मैंने घर आकर अपने पिताजी को बतायी थी, मेरे पिताजी थाने पर दरखास्त दिये थे, जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ था। मेरे स्कूल के अध्यापक लोग को भी घटना के बारें में बतायी थी। महिला सिपाही मेरा बयान लिखी थी। पत्रावली में शामिल कागज सं०–6/1 बयान धारा–180 बी०एन०एस०एस० साक्षी को दिखाया गया व साक्षी को पढ़कर सुनाया गया, साक्षी ने अपने हस्ताक्षर का पहचान किया, महिला सिपाही हमको लेकर सरकारी अस्पताल ले गयी थी, जहां मेरा डाक्टरी परीक्षण हुआ था। महिला सिपाही हमको लेकर न्यायालय आई थी जहां बंद कमरें में मजिस्ट्रेट साहब के सामने मेरा बयान हुआ था। घटना के समय मैं कक्षा–12 में पढ़ रही थी और घटना के समय 17 वर्ष की थी। पत्रावली में कागज सं०–14/2 हाईस्कूल परीक्षा 2024 प्रमाण पत्र का छायाप्रति साक्षी को दिखाया गया, साक्षी ने बताया कि यह मेरा शैक्षिक प्रमाण पत्र है जिस पर मेरी जन्मतिथि 15.05.2008 है। जो सही है। घटना के दिन मैं स्कूल ड्रेस पहने थी। सलवार सफेद कलर का और समीज नीला कलर का था। जो महिला पुलिस ने लिया था। मैनुद्दीन अंसारी के परिवार के लोग सुलह करने के लिए बार–बार डरा धमका रहे है।"

17– अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में **पी०डब्लू०–2** के रूप में साक्षी "**अभिमन्यु राव (वादी मुकदमा)"** को परीक्षित कराया गया है, उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "घटना दिनांक 07.04.2025 समय 11.00 बजे दिन की है। मेरी पुत्री/पीड़िता जो कक्षा–12 में कृषक इंटरमीडिएट कालेज, मल्लूडीह, कुशीनगर की छात्रा है। वह स्कूल में पढ़ने गयी थी, स्कूल के अध्यापक मैनुद्दीन अंसारी अपने कार्यालय में बुलाकर उसके साथ छेड़खानी किये और गलत काम किये। जिसका वीडियो बनवा लिये और वायरल करने की धमकी देने लगे और वायरल कर दिये। घटना के संबंध में कंप्यूटर चालक से मैं दरखास्त लिखवाक अपना हस्ताक्षर बनाकर थाने पर दिया, जिस पर मुकदमा कायम हुआ। पत्रावली में कागज सं०–4क/4 मूल तहरीर साक्षी को दिखाया गया, साक्षी को पढ़कर सुनाया गया, व साक्षी स्वयं पढ़ा। साक्षी ने अपनी तहरीर को तसदीक किया, और अपने हस्ताक्षर का पहचान किया, जिस पर **प्रदर्श क–2** अंकित किया गया। मेरी पुत्री/पीड़िता को मैनुद्दीन अंसारी अपने कार्यालय में पानी के बहाने कार्यालय

बुलाये और मेज पर रखे समोसा खाने के लिए बोले मेरी पुत्री/पीड़िता जब समोसा खा ली तो उसका सिर भारी होने लगा। मैनुद्दीन उसके साथ बलात्कार किया। घटना के समय मेरी पुत्री/पीड़िता 17 वर्ष की थी। मेरी पुत्री/पीड़िता का पुलिस कपड़ा घटना के समय कपड़ा को ली थी। मेरी पुत्री/पीड़िता का महिला सिपाही ने बयान लिया था। मेरी पुत्री/पीड़िता को महिला सिपाही सरकारी अस्पताल में डाक्टरी परीक्षण कराया था तथा न्यायालय में बंद कमरे में उसका बयान करायी थी। पत्रावली में कागज सं०–14/1 व 14/2 हाईस्कूल परीक्षा 2024 प्रमाण पत्र का छायाप्रति साक्षी को दिखाया गया, साक्षी ने बताया कि यह मेरी पुत्री/पीड़िता का है, जिसमें मेरी पुत्री/पीड़िता की जन्मतिथि 15.05.2008 है, जो सही है। पत्रावली में कागज सं०–23 क बंद लिफाफा माननीय न्यायालय की अनुमति से खोला गय़ा, अश्लील फोटो 2 अदद साक्षी को दिखाया गया, साक्षी ने बताया कि यह फोटो मेरी पुत्री/पीड़िता और मैनुद्दीन अंसारी का है। घटना के संबंध में मेरी पुत्री/पीड़िता ने हमको बताया था, दरोगा जी ने हमसे पूछताछ किया था। "

18– अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में **पी०डब्लू०–3** के रूप में साक्षी "**हेड मोहर्रिर चन्द्रजीत यादव"** को परीक्षित कराया गया है, उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "मैं दिनांक 08.04.2025 को थाना कसया, जनपद– कुशीनगर, में बतौर हेड मोहर्रिर के पद पर तैनात था। उसी दिन वादी मुकदमा अभिमन्यू राव पुत्र परमहंस राव, साकिनअलावल पट्टी, थाना–कसा, जनपद– कुशीनगर एक कंप्यूटर से टाइपशुदा तहरीर जिस पर अपना हस्ताक्षर बनाया हुआ था, लेकर आया। तहरीर के आधार पर मु०अ०सं०–212/2025, दिनांकित 08.04.2025 समय 01.35 बजे अंतर्गत धारा – 64(2), 351(3) BNS व » पाक्सो एक्ट, अभियुक्त मैनुद्दीन अंसारी पुत्र अज्ञात, साकिन अज्ञाच, कसया, जनपद–कुशीनगर, के विरुद्ध एफ०आई०आर० दर्ज किया। पत्रावली में शामिल कागज सं0–4/1 ता 4/3 मूल एफ० आई०आर० साक्षी को दिखाया गया, साक्षी ने बताया कि तहरीर के आधार पर कंप्यूटर चालक से तैयार कराया गया है। जिस पर प्रदर्श क 3 अंकित किया गया। पत्रावली में शामिल कागज स०–17/3 कायमी जी०डी० सं०–02, दिनांकित 08.07.2025 समय 1.32 बजे मु०अ०सं०– 212/2025, अंतर्गत धारा–64 (2),351(3) BNS व 3/4 पाक्सो एक्ट, साक्षी को दिखाया गया, साक्षी ने बताया कि तहरीर के आधार पर कंप्यूटर चालक से तैयार कराया गया, जिस पर प्रदर्श क–4 अंकित किया गया। एफ०आई०आर० की एक प्रति वादी मुकदमा को व एफ०आई०आर० व जी०डी० की एक प्रति संबंधित विवेचक को विवेचना हेतु सुपुर्द किया गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।"

19– अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में **पी०डब्लू०–4** के रूप में साक्षी "**डॉ० विनिषा श्री"** को परीक्षित कराया गया है, उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक 09.04.2025 को सी०डी०एच० कुशीनगर पर बतौर चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत थी, उसी दिन महिला कां० पूर्णिमा मिश्रा के साथ पीड़िता शिवांगी राव पुत्री अभिमन्यु राव, साकिन अलवल पट्टी थाना कसया जिला कुशीनगर दिन के 11.00 बजे मेरे समक्ष चिकित्सकीय परीक्षण हेतु उपस्थित हुई। पीड़िता के बताने के अनुसार उसकी जन्मतिथि हाईस्कूल मार्कशीट के अनुसार 15.05.2008 थी। पीड़िता मुकदमा अपराध सं०–212/2025 थाना कसया कुशीनगर से सम्बन्धित थी।

पीड़िता सामान्य अवस्था में थी।

पहचान–

पीड़िता के बायें तरफ कान से 2.3 सेमी० नीचे एक काले तिल का निशान था।

पीड़िता के बताने के अनुसार उसका अन्तिम मासिक स्राव की तिथि 22.03.2025 थी।

पीड़िता का लैंगिक शोषण का इतिहासः–

पीड़िता सुबह अपने घर से स्कूल 07 अप्रैल 2025 को सुबह अपने स्कूल गयी, सुबह 11.00 बजे उसने कहा कि मैनुद्दीन सर ने उसको अपने आफिस में बुलाया, पानी लाने को कहा, पानी लेने गयी तो रूम में पीछे से आ गये और उन्होंने कहा की समोसा खा लो और पानी पी लों। उसने पहली बार मना किया, फिर भी वह जबरदस्ती कहने लगे कि समोसा खाकर पानी पी लों। खाने पीने के बाद पीड़िता को कोई होश नहीं था। फिर उन्होंने उसके साथ गलत काम किया और जब वह होश में आयी तो उसने कहा कि किसी को बताना मत नहीं तो वीडियो वायरल कर देगा, उसके बाद वह अपने घर चली गयी।

पीड़िता से पूछा गया कि उसे तुम्हें मारा पीटा गया तो उसने मना किया। पीड़िता ने कहा कि वीडियो वायरल करने की धमकी दिया है। पीड़िता ने बताया कि मेरे गुप्तांग में उसने प्रवेशन किया है। घटना के लगभग 49 घण्टे के बाद से मेडिकल परीक्षण किया गया है। पीड़िता ने बताया कि लैंगिक हिंसा होने के बाद लघुशंका करते समय दर्द हो रहा था।

सामान्य परीक्षण–

पीड़िता जब मेरे समक्ष आयी थी, सामान्य स्थिति में थी।

बाह्य परीक्षण–

पीड़िता के बाहरी परीक्षण के दौरान कोई कटे फटे या चोट के निशान नहीं थे। पीड़िता का यू०पी०टी० निगेटिव था।

पीडिता के उम्र निर्धारण हेतु सी०एम०ओ० को सन्दर्भित किया गया। पीड़िता जब मेरे सामने मेडिकल परीक्षण के समय आयी थी, तो जो घटना के समय कपड़े पहनी थी, उन्हें बदल कर पहन कर आयी थी।

डी०एन०ए० परीक्षण हेतु पीड़िता से निम्न सैम्पल लिये गये– Control Blood Sample, Buccal Swab & Smear, Nail Clipping, Hair with follicles (जड़ सहित बाल), Vaginal Swab and Smear को पैक व सील करके मोहर लगाकर महिला कां० को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजने हेतु प्राप्त कराया गया। मेडिकल परीक्षण 11.15 AM से प्रारम्भ करके उसे दिन के 1.00 PM तक पूर्ण किया।

साक्षी को पत्रावली में शामिल कागज सं०–9क/6 ता 9क/16 दिखाया गया, साक्षी ने बताया कि मेरे द्वारा बोले जाने पर कम्प्यूटर चालक के माध्यम से मेडिकल परीक्षण आख्या तैयार की गयी है। रिपोर्ट तैयार करते समय पीड़िता के दाहिने अंगुठे का निशान उसके पिता के बायें हाथ के अंगुठे का निशान लिया गया। मेडिकल रिपोर्ट पर बने अपने हस्ताक्षर की साक्षी ने पहचान किया, जिस पर **प्रदर्श क–5** अंकित किया गया। रिपोर्ट तैयार कर महिला कां० पुर्णिमा मिश्रा को सुपुर्द किया गया। पुलिस के लोग आये थे, पूछताछ किये थे। पत्रावली में शामिल कागज सं०–9क/17 ओ०पी०डी० E/3328 के लेख व हस्ताक्षर की साक्षी ने पहचान किया।"

20– अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में **पी०डब्लू०–5** के रूप में साक्षी **"संतोष कुमार वर्मा (रिकार्ड के साक्षी के रूप में)"** को परीक्षित कराया गया है, उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "माननीय न्यायालय के समन पर साक्ष्य हेतु न्यायालय उपस्थित आया हूं। मैं अपने साथ विद्यालय से मूल स्कालर रजिस्टर क्रम सं०–16101 से 16200 तक वर्ष 2022–23 व यू०पी० बोर्ड द्वारा प्राप्त सारणीय पंजिका वर्ष 2024 लेकर आया हूं, जिसकी प्रमाणित छायाप्रति पत्रावली में दाखिल किया हूं जो

कागज सं०–24 क/1 व 24 क/2 के रूप में पत्रावली में संलग्न है। मूल एस०आर० रजिस्टर व सारणीयन पंजिका का मिलान प्रमाणित छायाप्रति कागज सं० 24 क/1 व 24 क/2 से किया गया, जो सही पाया गया।

मेरे स्कालर रजिस्टर के पंजिका सं०–16105 व पेज सं0–5 पर छात्रा शिवांगी राव पुत्री अभिमन्यू राव, माता–गीता देवी, ग्राम– अलावल पट्टी कुड़वा उर्फ दिलीप नगर, पोस्ट–दिलीप नगर, जनपद कुशीनगर, की जन्मतिथि 15.05.2008 (पंद्रह मई सन् दो हजार आठ) अंकित है। मेरे स्कालर रजिस्टर में छात्रा कुमारी शिवांगी राव की जन्मतिथि 15.05.2008 उसके पूर्व के विद्यालय मां सारी सम्मै लघु माध्यमिक विद्यालय, हेतिमपुर के प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित किया गया। मेरे विद्यालय में छात्रा कुमारी शिवांगी राव का नामांकन कक्षा 9 में दिनांक 05.07.2022 को हुआ था। जो मेरे विद्यालय में नियमित छात्रा के रूप में कक्षा–11 तक अध्ययन की। यू०पी० बोर्ड द्वारा प्राप्त सारणीयन पंजिका के पृष्ठ सं०–0976158 पर छात्रा शिवांगी राव पुत्री अभिमन्यु राव माता–गीता देवी का अनुक्रमांक 1242902438 व जन्मतिथि 15.05.2008 (पंद्रह मई सन् दो हजार आठ) अंकित है। संलग्न पत्रावली कागज सं0–24 क/1 प्रमाणित छायाप्रति एस०आर० रजिस्टर व कागज सं० 24 कं/2 यू०पी० बोर्ड द्वारा प्राप्त सारणीय पंजिका, साक्षी को दिखाया गया, साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पहचान किया, जिस पर क्रमशः प्रदर्श क–6 व प्रदर्श क– 7 अंकित किया गया। मैनुद्दीन अंसारी मेरे विद्यालय में करीब 18–19 वर्ष से चित्रकला के अध्यापक थे। उनकी चारित्रिक शिकायतें मुझे मौखिक रूप से मिलती रहती थी, कोई प्रमाणित चीजें नहीं मिलने के कारण मेरे द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गयी और न ही विभाग के उच्चाधिकारियों को मेरे द्वारा सूचित किया गया। उनके इस कृत्य से मेरे पूरे विद्यालय की छवि धूमिल हुई और पूरा समाज प्रभावित हुआ।"

21– अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में **पी०डब्लू०–6** के रूप में साक्षी **"संतोष कुमार वर्मा (तथ्य के साक्षी के रूप में)"** को परीक्षित कराया गया है, उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक 07.04.2025 को जब मैं वायरल वीडियो देखा, वीडियो में मेरे विद्यालय के सहायक अध्यापक मैनुद्दीन अंसारी जो चित्रकला पढ़ाते थे और मैनुद्दीन अंसारी के पास खेल व स्काउट का अतिरिक्त प्रभार भी था। स्काउट के लिए उन्हें कालेज प्रांगढ़ में एक कमरा आवंटित था। उस कमरे की चाभी मैनुद्दीन अंसारी के पास ही रहती थी। वीडियो में मैनुद्दीन अंसारी मेरे विद्यालय की छात्रा/पीड़िता के साथ बलात्कार करते हुए दिखायी दे रहे थे।

(अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा आपत्ति किया गया कि साक्षी द्वारा बलात्कार न बोलकर यौन शोषण बोला गया)।

वीडियो में जो कमरा दिखायी दे रहा था, वो विद्यालय परिसर में स्थित है, वह कमरा मैनुद्दीन अंसारी का आवंटित हुआ था। दरोगा जी मुझसे पूछताछ किये थे। मैनुद्दीन अंसारी का कृत्य घृणित व निंदनीय था। मैनुद्दीन अंसारी का वह कृत्य पूरे समाज व शिक्षक समाज पर एक धब्बा था।"

22– अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में **पी०डब्लू०–7** के रूप में साक्षी **"विज्ञानकर सिंह"** को परीक्षित कराया गया है, उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक 08.04.2025 को थाना कसया कुशीनगर में मैं बतौर निरीक्षक अपराध कार्यरत था, उसी दिन मुकदमा अपराध संख्या 212/2025 विवेचना हेतु थाना कार्यालय से नकल चिक और नकल रपट मुझे प्राप्त करायी गयी, उसी दिन पर्चा नं०–1 किता कर नकल चिक व नकल रपट का अवलोकन, एफ०आई०आर० लेखक चन्द्रजीत

यादव का बयान अंकित किया, पीड़िता के जन्मतिथि के बावत हाईस्कूल प्रमाणपत्र प्राप्त व अवलोकन किया, जिसमें पीड़िता की जन्मतिथि 15.05.2008 का अंकित होना पाया गया, जिसके आधार पर पीड़िता घटना के समय नाबालिग पायी गयी, विद्यालय के प्रधानाचार्य संतोष कुमार वर्मा प्रधानाचार्य कृषक इंटर कॉलेज मल्लूडीह, वादी मुकदमा अभिमन्यु राव का बयान अंकित किया, महिला उ०नि० प्रियंका तिवारी द्वारा पीड़िता का बयान 180 BNSS अंकित किया गया, बयान का अवलोकन मेरे द्वारा किया गया, अभियुक्त मैनुद्दीन अंसारी पुत्र स्व० मोहम्मद हदीश अली निवासी वार्ड नं–7, सिद्धार्थ नगर मल्लूडीह, थानाकसया, जनपद कुशीनगर को उस समय करीब 17:00 बजे बाड़ी पूल से अहिरौली जाने वाले तिराहे से समक्ष गवाहान गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के पुत्र परवेज को दी गयी, अभियुक्त का बयान अंकित किया, मेरे निर्देश पर उ०नि० नागेन्द्र सिंह के द्वारा एक अदद मोबाइल स्क्रीन टच विवो टी–1 बरामद कर कब्जा में लेकर फर्द तैयार किया गया, जिसका अवलोकन किया गया।

दिनांक 09.04.2025 को पर्चा नं०–2 किता कर अभियुक्त के रिमाण्ड हेतु समक्ष न्यायालय प्रस्तुत किया गया, उसी दिन पर्चा नं०–3 किता कर पीड़िता के 183 BNSS बयान हेतु न्यायालय प्रस्तुत किया गया, बयान 183 BNSS अंकित हुआ, वादी पीड़िता के निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 5 क/1 नक्शा नजरी के लेख व हस्ताक्षर की साक्षी ने पहचान किया जिस पर प्रदर्श क–8 अंकित किया गया।

अभियुक्त का मोबाइल एक अदद, स्क्रीन टच विवो T–1, के फर्द बरामदगी का अवलोकन किया

दिनांक 11.04.2025 को पर्चा नं०–4 किता किया गया, जिसमें पीड़िता का बयान 183 BNSS का अवलोकन किया गया, तथा पीड़िता का मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, तथा पीड़िता के पूरक मेडिकोलिगल रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तत्पश्चात पीड़िता के ओ०पी०डी० पर्ची का अवलोकन किया गया, तथा सी०एम०ओ० कार्यलय रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, तत्पश्चात पीड़िता को बाद काउंसलिंग CWC के द्वारा उसके परिजोनो को सुपुर्द किया गया।

दिनांक 17.05.2025 को पर्चा नं०–5 किता किया गया, जिसमें अवलोक पत्र क्षेत्राधिकारी कसया अंकित किया गया तथा धारा 3/4 POCSO एक्ट का विलोपन व 5 (च)/6 POCSO एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी, तथा अभियुक्त को तलब करने हेतु माननीय न्यायालय में अगले दिन प्रत्यावेदन देने की अनुमति ली गयी, अंकित है। दिनांक 20.05.2025 को पर्चा नं0–6 किता किया गया, जिसमें अभियुक्त का परिवर्तित धाराओं में रिमाण्ड बनवाया गया।

दिनांक 24.05.2025 को पर्चा नं०–7 किता किया गया जिसमें डी०एन०ए० प्रदर्श रिसिविंग का अवलोकन किया गया तथा मोबाइल रिसिविंग का अवलोकन किया गया, तत्पश्चात आरक्षी आशुतोष कुमार सिंह का बयान अंकित किया गया, तत्पश्चात डी०एन०ए० प्रदर्श रिसिविंग कराने वाले मुख्य आरक्षी मनोज कुमार का बयान अंकित किया गया, तत्पश्चात उ०नि० नागेन्द्र सिंह का बयान अंकित किया गया, जिन्होंने अभियुक्त का मोबाइल, पीड़िता का वस्त्र कब्जा पुलिस लिया था, तत्पश्चात चिकित्सक डॉ० विनिशा सिंह का बयान अंकित किया गया, अंकित है, एवं वायरल विडियों फुटेज को पेनड्राइव में रखकर सर्वमोहर सील कर संलग्न पत्रावली किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा 67 IT एक्ट तथा कुछ व्यक्ति नाम पता अज्ञात की बढ़ोत्तरी की गयी एवं अभियुक्त

मैनुद्दीन अंसारी पत्र मो० हदीश अली, सा०– वार्ड नं०–7, सिद्धार्थ नगर मल्लूडीह, थाना–कसया जनपद कुशीनगर के विरुद्ध धारा–64 को 351 (3) BNS व 5 (च)/6 पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र संख्या 298/25 दिनांक 24.05.2025 किता कर प्रेषित किया गया, तथा अग्रीम विवेचना धारा 67 IT एक्ट बनाम कुछ ब्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध विवेचना प्रचलित रखी गयी।

दिनांक 02.06.2025 को पर्चा नं०–8 किता किया जिसमें श्रीमान पर्यवेक्षण अधिकारी के निर्देश के क्रम में गवाह संतोष वर्मा श्रीमति सीमा, श्रीमती निर्मला, आलोक वर्मा, चन्द्रिका प्रसाद कुशवाहा, रामसागर गौड़, गुलाब पाण्डेय, जयन्त कुमार सिंह, श्रीप्रकाश यादव, श्रीमती पदमावती देवी, श्री अम्बरेश कुमार शर्मा, रामअधार कुशवाहा का बयान अलग अलग अंकित किया गया, तथा अज्ञात व्यक्तियों का तलाश किया गया। संलग्न पत्रावली कागज संख्या 3 क/1 ता 3 क/4 तक साक्षी को आरोप पत्र साक्षी को दिखाया गया, साक्षी ने बताया कि साक्ष्य के आधार पर मेरे द्वारा कंप्यूटर चालक से तैयार किया गया है, साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पहचान किया जिस पर प्रदर्श क– 11 अंकित किया गया।"

23– अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में **पी०डब्लू०–8** के रूप में साक्षी "**नागेन्द्र कुमार सिंह**" को परीक्षित कराया गया है, उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक 08.04.2023 को थाना कसया, जिला–कुशीनगर में बतौर उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उसी दिन मु०अप०सं० 212/2025, अन्तर्गत धारा – 64 (2), 351 (3) बी०एन०एस० व धारा–3/4 पॉक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त मैनुद्दीन अंसारी पुत्र स्व० मोहम्मद हदीश अली, साकिन– वार्ड नं० 7 सिद्धार्थनगर धनहाँ उर्फ मल्लूडीह, थाना– कसया, जिला– कुशीनगर की मोबाइल Vivo T1 रंग स्काई ब्लू IMEI नं० 1–868764068347212 व IMEI नं० 2868764068347204 जिसमें सिम नहीं लगा था, को लेकर अभियुक्त मैनुद्दीन का लड़का परवेज थाने पर आया। जिसे कब्जा पुलिस में लेकर सील सर्व मोहर कर नमूना मोहर एवं फर्द तैयार किया गया, उपस्थित परवेज का हस्ताक्षर फर्द पर बनवाया गया। मोबाइल को सफेद पारदर्शी डिब्बे में पैक कर सील मोहर किया गया। जी०डी० में दाखिल कर मालखाना में दाखिल किया गया। पैरोकार श्रीकान्त के द्वारा मुकदमें से संबंधित पारदर्शी डिब्बे में बन्द मोबाइल न्यायालय में लेकर आया जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला वाराणसी से परीक्षण के उपरान्त प्राप्त हुआ था। जिस पर वस्तु प्रदर्श–1 अंकित किया गया। मा० न्यायालय के निर्देश पर बन्द डिब्बे को खोला गया जिसके अन्दर एक अदद Vivo मोबाइल स्काई ब्लू कलर पाया गया जिसे देखकर साक्षी ने पहचान किया बताया कि यही मोबाइल परवेज द्वारा मुझे थाने पर प्राप्त कराया गया था। जिस पर वस्तु प्रदर्श–2 अंकित किया गया। जिस मोबाइल पर हल्का धानी रंग का कवर लगा है। पत्रावली में शामिल कागज सं० 7 क/1 फर्द बरामदगी एक अदद स्क्रीनटच Vivo T1 मोबाइल को देखकर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पहचान किया जिस पर प्रदर्श क–9 अंकित किया गया। पत्रावली में शामिल कागज सं० 6 क/2 फर्द कब्जा लेने एक अदद सलवार, कमीज (स्कूल ड्रेस) को देखकर साक्षी ने बताया कि पीड़िता के कपड़े (सफेद सलवार व नीला समीज) महिला कां० द्वारा मुझे प्राप्त कराया गया था जिसे सर्व मोहर सील कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजने के लिए मालखाने में दाखिल किया गया। फर्द के लेख व हस्ताक्षर की साक्षी ने पहचान किया जिस पर प्रदर्श क– 10 अंकित किया गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।"

24– अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में **पी०डब्लू०–9** के रूप में साक्षी "**हेड कांस्टेबल मनोज कुमार**" को परीक्षित कराया गया है, उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि " मैं दिनांक 15.04.2025 को जनपद–कुशीनगर में बतौर हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। उसी दिन थाना कार्यालय से मु०अ०सं०–212/2025, से संबंधित सीलबंद लिफाफा प्राप्त हुआ। जिसे मैं दिनांक 16.04.2025 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला, गोरखपुर में दाखिल किया। जिसका प्रदर्श सं०–RFSL(GOR(/782/DNA/89/25 का रिसीविंग कापी मैं थाना कार्यालय में जमा कर दिया। विवेचक मेरा बयान लिये थे।"

25– अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में **पी०डब्लू०–10** के रूप में साक्षी **"कांस्टेबल आशुतोष कुमार सिंह"** को परीक्षित कराया गया है, उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि " मैं दिनांक 06.05.2025 को थाना कसया, जनपद–कुशीनगर में बतौर कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। उसी दिन थाना कार्यालय से मु०अ०सं०–212/2025, से संबंधित सीलबंद पारदर्शी डिब्बा जिसमें मोबाइल रखा था, प्राप्त हुआ था। दिनांक 06.05.2025 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रामनगर वाराणसी उ०प्र०, दाखिल किया, जिसका प्रदर्श सं० RFSL(VAR)/1824/FOC/219/25 का रिसीविंग कापी प्राप्त हुआ, जिसे मैं थाना कार्यालय में जमा कर दिया। विवेचक मुझसे पूछताछ किये थे।"

26– न्यायालय के द्वारा परीक्षित सभी साक्षीगणों के मुख्य परीक्षा का ऊपर उल्लेख किया गया है। अभियुक्तगणों के द्वारा साक्षीगणों से प्रतिपरीक्षा क्रमशः किया गया, अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपनी निर्दोषिता के सन्दर्भ में जो तर्क न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये, उस तर्क के परिप्रेक्ष्य में प्रतिपरीक्षा में जो महत्वपूर्ण कथन न्यायालय द्वारा पाया जायेगा, उसका आगे उल्लेख किया जायेगा।

27– किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख व संरक्षण अधिनियम) 2015 की धारा 94(2)(I) विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाण पत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो, और इसके अभाव में

(II) निगम या नगर पालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र। (III) और केवल उपरोक्त (I) व (II) के अभाव में आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर की गयी अस्थि जाँच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जाँच के आधार पर किया जायेगा।

P. Yuvaprakash vs State Rep. By Inspector of Police 2023 (4) JIC 96 (उच्चतम न्यायालय)– किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा– 94 में आयु निर्धारण का तरीका– आयु का निर्धारण सबसे पहले हाईस्कूल या मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र के द्वारा किया जायेगा इसके अभाव में नगर पालिका द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र और इन दस्तावेजों के अभाव में आयु का निर्धारण ऑक्सिफिकेशन टेस्ट के माध्यम से किया जायेगा।

तहरीर कागज सं०–4क/4 प्रदर्श क–2 में पीड़िता के पिता अभिमन्यु राव के द्वारा घटना के समय पीड़िता की उम्र 17 वर्ष बतायी है, जो कृषक इण्टरमीडिएट कालेज के 12वीं की छात्रा बतायी गयी है।

पीड़िता साक्षी/PW–1 के रूप में घटना का दिनांक 07.04.2025 बतायी है, घटना के समय वह स्वयं को 12वीं की छात्रा बतायी है। घटना के समय अपनी उम्र 17

वर्ष बतायी है। पत्रावली पर दाखिल कागज सं०–14क/2 हाईस्कूल परीक्षा 2024 प्रमाण पत्र पर अंकित जन्मतिथि 15.05.2008 बतायी गयी है।

प्रतिपरीक्षा के दौरान उम्र के बावत अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा पीड़िता से कोई प्रश्न स्पष्टतः नहीं किया है।

साक्षी/PW–2 पिता के पिता हैं, के द्वारा मुख्य परीक्षा में घटना के समय पीड़िता की उम्र 17 वर्ष बतायी गयी है, हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि 15.05.2008 को पीड़िता की जन्मतिथि बताया है।

साक्षी/PW–2 ने प्रतिपरीक्षा के दौरान *पीड़िता का नामांकन स्कूल में कराने मैं नहीं गया था, पीड़िता स्वयं गयी थी, नर्सरी से लेकर पांचवी तक मेरी लड़की/पीड़िता कभी फेल नहीं हुयी है, हमें स्पष्ट याद नहीं है कि फेल भी हुयी होगी, मुझे याद नहीं है कि मेरी लड़की/पीड़िता का नामांकन नर्सरी में किस स्कूल में कराया था, स्कूल में नर्सरी में अपनी लड़की का जन्मतिथि लिखाने मैं गया था, और मैं ही लिखवाया था, वह अपने बुआ मामा के यहां रह कर पढ़ी है, वहां पर भी जन्मतिथि लिखवाने मैं ही गया था, उशके बुआ का घर विशुनपुरा, थाना कारखाना रामपुर जिला देवरिया में पड़ता है, मेरी लड़की/पीड़िता के मामा का घर करमैनी, थाना पटहेरवा जिला कुशीनगर में पड़ता है, वहां पर भी वह रहकर पढ़ी है, जब मेरी लड़की/पीड़िता लगभग तीन चार साल थी, उसी समय मैं उसे उसके बुआ के घर पढ़ने भेजा था, मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि मेरी लड़की/पीड़िता अपने मामा के घर जब पढ़ने गयी थी उस समय उसकी उम्र कितनी थी। मेरी लड़की/पीड़िता पांच छः तक अपने मामा के घर रहकर पढ़ी है।"*

साक्षी के प्रतिपरीक्षा के उक्त कथनों से यह स्पष्ट है कि पीड़िता की जन्मतिथि को विद्यालय में लिखाने उसका पिता साक्षी/PW–2 ही गया था।

साक्षी PW–5 संतोष कुमार वर्मा, प्रधानाचार्य कृषक इण्टरमीडिएट कालेज के द्वारा विद्यालय के मूल स्कालर रजिस्टर क्रम सं०–16101 से 16200 तक वर्ष 2022–23 यू०पी० बोर्ड द्वारा प्राप्त सारणीयन पंजिका 2024 की प्रमाणित प्रति कागज सं०–24क/1, 24क/2 को प्रमाणित व सत्यापित किया है, जिसमें पीड़िता की जन्मतिथि 15.05.2008 अंकित है। प्रधानाचार्य साक्षी के द्वारा यह भी बताया गया है कि पीड़िता के पूर्व विद्यालय मां सारी सम्मै लघु माध्यमिक विद्यालय हेतिमपुर के प्रमाण पत्र के आधार पर जन्मतिथि अंकित की गयी है। पीड़िता का नामांकन कक्षा 9 में दिनांक 05.07.2022 को हुआ था। विद्यालय में नियमित छात्रा के रूप में कक्षा 11 तक अध्ययन की है।

प्रधानाचार्य/साक्षी के द्वारा प्रतिपरीक्षा में पीड़िता को स्कूल में कक्षा 11 तक पढ़ने का कथन किया है। कक्षा 11 का सत्र अप्रैल माह के पहले सप्ताह में समाप्त हो जाता है। 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो जाता है। पीड़िता का कक्षोन्नती हुआ था। लेकिन दाखिला नहीं हुआ था।

कागज सं०–24क/1 प्रदर्श क–6 पीड़िता का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें पीड़िता की जन्मतिथि 15.05.2008 अंकित है। पीड़िता कक्षा 11 में उत्तीर्ण दर्शित की गयी है।

Jarinail Singh v. State of Haryana 2013 7 SCC 263 : AIR 2013 SC 3467 में यह अभिमत दिया गया है कि, "The Apex Court has held that age of the prosecutrix should be determined on the following grounds.

(a) (I) the matriculate or equivalent certificates, if available; and in the absence whereof;

(ii) the date of birth certificate from the school (other than a play school) first attended; and in the absence whereof.

(iii) the birth certificate given by a corporation or a municipal authority or a panchayat;

(b) and only in the absence of either (I), (ii) or (iii) of clause (a) above, the medical opinion will be sought from a duly constituted Medical Board, which will declare the age of juvenile or child. In case exact assessment fo the age cannot be done, the court or the board or, as the case may be, the Committee, for the reasons to be recorded by them, may, if considered necessary, given benefit to the child or juvenile by considering his/her age on lower side within the margin of one year."

चुंकि पीड़िता का हाईस्कूल के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि उम्र निर्धारण के लिए पर्याप्त सक्षम दस्तावेज माना जा सकता है, जैसा कि Maju v. State of Kerala, 2020(3) KLT 373 : 2020(3) KLJ 43 : ILR 2020(3) Ker 220 (ker) में अभिमत पारित किया गया है कि *"Date of birth certificate issued by School in the absence of evidence to the contrary can be accepted as conclusive proof of the age of the victim in a criminal proceedings as well."*

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में **[Sofikul Islam v. State of Kerala, 2022(6) KLT Online 1146]** में माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा यह मत पारित किया गया कि, "If there is a certificate from school or matriculation or equivalent certificate from Examination Board concerned that specifies date of birth, said document alone is acceptable as proof of birth, said document alone is acceptable as proof of age of accused under Section 94(2)9i) of JJ Act, 2015, who claims to be a child in conflict with law."

उपरोक्त विधि व्यवस्थाऐं व किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख व संरक्षण अधिनियम) 2015 की धारा 94(2)(I) के अनुसार, चुँकि पीड़िता की जन्मतिथि हाईस्कूल प्रमाण पत्र पर दिनांक 15.05.2008 अंकित है, जो पीड़िता के उम्र निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण व निश्चायक जन्मतिथि का सबूत है।

घटना की तिथि 07.04.2025 है, अतः घटना की तिथि पर पीड़िता की उम्र 16 वर्ष 10 माह 22 दिन होना स्पष्ट है। अतः घटना की तिथि पर पीड़िता का अल्पव्यस्क होना प्रमाणित व स्पष्ट है।

28- अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया है, साथ में यह भी कहा गया है कि विलम्ब के कारणों को स्पष्ट नहीं किया गया है।

विद्वान विशेष शासकीय अधिवक्ता (पॉक्सो एक्ट) के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इस प्रकरण में घटना की तिथि दिनांक 07.04.2025 है, जिसकी सूचना वादी मुकदमा के द्वारा उसी दिन थाने पर दे दी गयी थी, जिस पर दिनांक 08.04.2025 को सम्बन्धित एस०एच०ओ० के द्वारा अभियोग पंजीकृत करने के लिए आदेशित किया गया,

दिनांक 08.04.2025 को समय 01.35 बजे अभियोग पंजीकृत किया गया। अतः इस प्रकरण में वादी मुकदमा के द्वारा अपने स्तर से कोई विलम्ब नहीं किया गया है।

इस बिन्दु पर मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। घटना दिनांक 07.04.2025 के दिन के 11.00 बजे की बतायी गयी है, जिसका अभियोग वादी मुकदमा के द्वारा पंजीकृत कराने के लिए दिनांक 07.04.2025 को ही तहरीर प्रभारी अधिकारी कसया को सम्बोधित करते हुए प्रस्तुत किया गया, जिस पर दिनांक 08.04.2025 को अभियोग पंजीकृत करने का आदेश किया गया, समय 01.35 बजे अभियोग पंजीकृत किया गया।

केस डायरी के प्रपत्रों में दिन और रात का उल्लेख न करते हुए सिर्फ 01.35 बजे अभियोग पंजीकृत करने का समय लिखा गया है। संख्यात्मक दृष्टिकोण से समय 01.35 बजे को दिनांक 08.04.2025 की रात्रि 01.35 बजे का समय अभियोग पंजीकृत करने के लिए माना जा सकता है। ऐसे में प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से पंजीकृत किये जाने का तर्क औचित्यहीन है।

वादी मुकदमा PW–2 का इस बिन्दु पर साक्ष्य का भी परीशिलन किया गया। वादी मुकदमा के द्वारा स्पष्ट किया गया कि घटना के दिन दिनांक 07.04.2025 को ही वह शाम को थाने पर गया था, वह प्रार्थना पत्र दे दिया था। मुकदमा कब लिखा गया, उसे याद नहीं है।

न्यायालय के दृष्टिकोण में इस बिन्दु पर लैंगिक अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिसके अभियोग पंजीकृत कराने से पहले परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा, लोक लाज इत्यादि अनेक परिस्थितियाँ मनः मस्तिष्क में कोई कदम उठाने से पहले विचारणीय होती हैं। पीड़िता व उसके परिवार की मनः स्थिति में एक अन्तर्द्वन्द होता है। काफी विचार विमर्श करने के पश्चात् ही स्वयं को उक्त परिस्थितियों में खड़ा करते हुए पीड़ित पक्ष अभियोग पंजीकृत कराता है। अतः लैंगिक अपराध के प्रकरण में यदि पीड़िता का साक्ष्य विश्वसनीय है तो अभियोग पंजीकृत कराने में विलम्ब का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। **हरपाल सिंह बनाम हिमाचल राज्य 1981 क्रि०ला० ज० 1 (उच्चतम न्यायालय) ए०आई०आर० 1981 एस०सी० 361** *के प्रकरण में माननीय न्यायालय के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि बलात्कार के मामले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में 10 दिन का हुआ विलम्ब युक्ति–युक्त था। क्योंकि इसमें परिवार की प्रतिष्ठा अन्तर्गस्त थी, परिवार के सदस्यों को यह निर्णय लेना था कि क्या मामले को न्यायालय के समक्ष ले जाया जाये या नहीं। इसी तरह का मत* **पृथ्वी चन्द बनाम हिमाचल राज्य 1989 1 उच्चतम न्यायालय के० 432 ए०आई०आर० 1989 एस०सी० 702** *के वाद में भी दिया गया।* **(राजस्थान राज्य बनाम श्री नरायण (1992) 3 उच्चतम न्यायालय के० 615 ए०आई०आर० 1992 उच्चतम न्यायालय 2004)**

29– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रथम सूचना रिपोर्ट/तहरीर में छेड़खानी करते हुए गलत कार्य करने का आरोप लगाया है। तहरीर में पीड़िता के शैक्षणिक प्रमाण पत्र या वीडियो क्लिप का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, शिकायतकर्ता ने तहरीर में दिनांक को ओवरराईटिंग किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में शिकायतकर्ता के द्वारा वीडियो वायरल करने के बारे में कोई लिखित कथन नहीं किया था। तहरीर प्रस्तुत करने का दिनांक नहीं लिखा गया है।

विद्वान विशेष शासकीय अधिवक्ता (पॉक्सो एक्ट) के द्वारा तर्क के प्रतिउत्तर में कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट मात्र किसे संज्ञेय अपराध की थाने पर सूचना मात्र होती है।

यह आवश्यक नहीं है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में विस्तृत रूप से सभी तथ्यों का उल्लेख किया जाये।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता/वादी मुकदमा अभिमन्यु राव के द्वारा प्रभारी निरीक्षक कसया को दिनांक 07.04.2025 को ही घटना के बावत प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कर कार्यवाही करने के लिए तहरीर प्रस्तुत कर दिया था।

तहरीर/प्रथम सूचना रिपोर्ट एक सूचना संज्ञेय अपराध कारित किये जाने की होती है, जिसके आधार पर विवेचना सम्पादित की जाती है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट Encyclopedia नहीं होती है। जिसमें घटना की विस्तृत वर्णन का होना स्पष्ट नहीं है। यह सत्य है कि शिकायतकर्ता के द्वारा अपने हस्ताक्षर के नीचे तिथि अंक '7' पर ओवरराईटिंग किया गया है, लेकिन इससे यह नहीं माना जा सकता है कि घटना की सूचना संदिग्ध है। यह माना जा सकता है कि तिथि अंकित करते समय कोई त्रुटि हुआ हों, जिसे शिकायतकर्ता के द्वारा अविलम्ब दूर किया गया है।

ग्रामीण परिवेश के लोगों के बारे में यह आशा नहीं की जा सकती है कि प्रत्येक कानूनी पहलूओं को ध्यान में रखते हुए उनसे कार्य करने की उम्मीद की जाये।

अतः तहरीर प्रदर्श क-2 में प्रत्येक तथ्यों का उल्लेख न करने से घटना को संदिग्ध नहीं माना जा सकता है।

यहां पर **हारेश महादेव काम्बले बनाम स्टेट आफ महाराष्ट्र 2002 क्रि० एल०जे० 1297 (बाम्बे)** में पारित विधि व्यवस्था का उल्लेख उचित होगा, जिसमें कहा गया है, "**पुलिस को दी गयी सूचना जांच पड़ताल को शुरु करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। वह शर्त जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए अपरिहार्य होती है, वह यह है कि सूचना निश्चित रूप से होनी चाहिए और ऐसी सूचना को अवश्यमेव एक संज्ञेय अपराध को प्रकट करना चाहिए। "**

प्रथम सूचना रिपोर्ट में छोटी कमियां महत्वहीन हैः-जहाँ सक्षम अधिकारी के एक न्यायालय के समक्ष परिवादी द्वारा किया गया अभिवाक् विस्तारपूर्वक ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया था वहां इस प्रकार छोटी-मोटी त्रुटियां साक्षी के साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं बना देती हैं, क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट को एक पुष्टिकारक मूल्य ही माना जाता है। **{भागराम बनाम राजस्थान राज्य, 1995 क्रि० ला० ज० (राज) 375:1995 (2) आर०सी०सी० 31}**

30- अभियुक्त पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पीड़िता के साक्ष्यों को विश्वासपरख नहीं बताया है। क्योंकि पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में मैंनुद्दीन के द्वारा कपड़ा उतारकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करने व चुपके से वीडियो बनाने का कथन किया है। लेकिन वीडियो में कपड़ा उतरा हुआ नहीं दिखायी दे रहा है। अतः मुख्य परीक्षा में ही पीड़िता के कथन को बल नहीं मिल रहा है।

पीड़िता ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना के बारे में सर्वप्रथम अपने पिता जी को बतायी थी, यह मानवीय प्रकृति के अनुसार विश्वसनीय कथन नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में पीड़िता सर्वप्रथम अपनी मां व बहनों से घटना के बारे में जानकारी देगी।

पीड़िता के द्वारा यह कथन किया गया है कि दिनांक 07.04.2025 को विद्यालय में सभी छात्र व अध्यापक आये थे, जबकि अन्य साक्षी स्कूल के प्रधानाचार्य PW-5/साक्षी व PW-6/साक्षी सन्तोष वर्मा व साक्षी PW-7 विवेचक विज्ञानकर सिंह ने

साक्ष्य दिया है कि कक्षायें प्रॉपर नहीं चल रही थी, एडमिशन फार्म बच्चों के द्वारा लेने का कार्य चल रहा था।

पीड़िता ने घटनास्थल के कमरे से सटे पश्चिम वाले कमरे में व सटे पूरब वाले कमरे में कक्षायें चलती हैं। यह साक्ष्य असम्भव होने का तर्क प्रस्तुत किया गया। अभियोजन के द्वारा विद्यालय के चपरासी सलमान अंसारी को साक्षी नहीं बनाया है। जबकि पीड़िता के द्वारा अपने साक्ष्य में यह कहा गया है कि सलमान अंसारी उसे बुलाकर ले गया था। परमावती देवी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि पीड़िता घटना वाले समय कक्षा छोड़कर कहीं चली गयी थी। पीड़िता स्वयं के बयान में घटना वाले दिन थाने जाने का कथन किया है। जबकि साक्षी PW–3 हेड कांस्टेबल चन्द्रजीत यादव ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि थाने पर केवल शिकायतकर्ता अकेले आया था।

विशेष शासकीय अधिवक्ता (पॉक्सो एक्ट) ने अभियुक्त पक्ष के उक्त तर्कों को प्रतिउत्तर में कथन किया कि वास्तव में पीड़िता एक विश्वसनीय साक्षी है, उसने अपने साक्ष्य में पूरी तरह से प्रमाणित किया है कि मैनुद्दीन अंसारी के द्वारा घटना वाले दिन कमरे में बुलाकर समोसा खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, इसका वीडियो बनाकर वायरल भी किया गया। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि अभियोजन के द्वारा सलमान अंसारी को साक्षी के तौर पर नामित नहीं किया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने अपने साक्ष्य में यह प्रमाणित किया है कि घटना वाले दिन विद्यालय में शिक्षक व छात्र उपस्थित थे।

उभयपक्षों के तर्कों के आलोक में न्यायालय के द्वारा पीड़िता के साक्ष्य की विश्वसनीयता का सम्यक परख किया गया।

वादी मुकदमा के द्वारा दिनांक 07.04.2025 को इस आशय का शिकायत प्रभारी निरीक्षक कसया के समक्ष किया गया है कि उसकी लड़की पीड़िता कृषक इण्टरमीडिएट कालेज कक्षा 12 में पढती है, विद्यालय के अध्यापक मैनुद्दीन अंसारी के द्वारा स्कूल के कमरे में छेड़खानी करते हुए गलत काम किया गया व वीडियो बनाया गया। वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी गयी।

पीड़िता के धारा 180 बी०एन०एस०एस० के साक्ष्य का उल्लेख करना भी यहां उचित होगा, जो कागज सं–6क/1 के रूप में संलग्न पत्रावली है, जो महिला उ०नि० प्रियंका तिवारी के द्वारा लिखा गया है, पीड़िता ने महिला उ०नि० के समक्ष यह कथन किया है कि, *"मेरी उम्र 17 वर्ष है, मैं कक्षा 12 कृषक इण्टर काले मल्लूडीह में पढ़ रही हूँ। दिनांक 07.04.2025 को मेरे स्कूल के अध्यापक मैनुद्दीन अंसारी ने मुझसे पानी मंगाया और मुझे बोले वहां मेज पर समोजा रखा है, खालो, मैंने समोसा खा लिया, उसके बाद मेरा सिर भारी हो गया, उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे साथ बलात्कार हो गया, तब मैंने अध्यापक से पूछा कि मेरे साथ बलात्कार क्यों किया, तो उन्होनें मुझे धमकी देते हुए कहा कि तुम्हारा वीडियो बनाया हूँ। वायरल कर दूंगा। ये वीडियो कब बनाये, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम। इसके बाद जब स्कूल बंद हो गया तब मैं अपने घर चली गई।"*

पीड़िता साक्षी का धारा 183 बी०एन०एस०एस० का साक्ष्य भी कागज सं०–21क/1 प्रदर्श क–1 के रूप में पत्रावली पर संलग्न है, जिसमें पीड़िता के द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष इस आशय का कथन किया है कि, "मेरी उम्र 17 वर्ष है, मैं कक्षा 12 में कृषक इण्टर कालेज मल्लूडीह में पढ़ रही हूँ। घटना दिनांक 07.04.2025 की है, मेरे स्कूल के अध्यापक मैनुद्दीन अंसारी ने मुझसे पानी मंगाया और मुझे बोला कि आफिस में मेज पर समोसा रखा है, मैंने जाकर समोसा खा लिया। वह भी पीछे से आ गये। मेरा समोसा खाकर सिर भारी हो गया और मैं बेहोश हो गयी। मैनुद्दीन अंसारी बेहोशी की हालत में मेरे साथ

बलात्कार किया फिर मुझे धमकी दिया कि यदि मैंने किसी को इस बारे में बताया तो वह मेरा वीडिया वायरल कर देंगे।"

पीड़िता साक्ष्य न्यायालय के समक्ष सशपथ PW–1 के रूप में दिनांक 07.07.2025 को अंकित किया गया। पीडिता ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट कथन किया है कि, *"मैं स्कूल गयी थी। मेरे स्कूल के टीचर मैनुद्दीन अंसारी जो उप प्रधानाचार्य है। घटना दिनांक 07.04.2025 समय लगभग 11.00 बजे दिन का था। मैनुद्दीन अंसारी मुझसे पानी मांगे तो मैंने पानी लाकर दिया। पानी पी लिये। हमसे बोले कि मेज पर समोसा रखा है खा लो। जब मैंने समोसा खा ली तो मेरा सिर भारी होने लगा। मैं पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई थी। थोड़ा–थोड़ा होश था। मैनुद्दीन अंसारी मेरा कपड़ा उतारकर मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और चुपके उसका वीडियो बना लिये। मुझसे बोले अगर किसी से कहोगी तो मैंने तुम्हारा वीडियो बना लिया है, उसको वायरल कर दूंगा। बाद में मेरा वीडियो वायरल कर दिये। घटना के संबंध में मैंने घर आकर अपने पिताजी को बतायी थी, मेरे पिताजी थाने पर दरखास्त दिये थे, जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ था। मेरे स्कूल के अध्यापक लोग को भी घटना के बारें में बतायी थी।*"

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पीड़िता से प्रतिपरीक्षा की गयी, प्रतिपरीक्षा के दौरान पीड़िता ने स्वयं को कक्षा 12 की छात्रा बतायी है। घटना दिनांक 07.04.2025 के समय 11.00 बजे दिन की बतायी है, उस दिन स्कूल खुला था। विद्यालय में लगभग सारे छात्र सभी अध्यापक स्कूल में उपस्थित थे। स्कूल का समय सुबह 08.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक था। घटना आफिस में हुआ था। वह नीचे ही है। उसका स्कूल दो मंजिला नहीं है। घटना के समय विद्यालय का लन्च का समय 11.40 बजे का था। 11.00 बजे सज्ञा व प्रधान रचना पढाया जाता था।

पीड़िता/साक्षी ने स्पष्ट कथन किया है कि मैनुद्दीन अंसारी का एक अलग आफिस है, प्रधानाध्यापक का आफिस अलग है, घटनास्थल मैनुद्दीन का आफिस है। मैनुद्दीन अंसारी उसके विद्यालय के उप प्रधानाचार्य हैं। मैनुद्दीन अंसारी जिस आफिस में बैठते हैं, उस आफिस में कोई बाबू या स्टाफ नहीं बैठते हैं, उस आफिस में एक खिड़की व एक दरवाजा है। पीडिता ने यह भी कथन किया कि विद्यालय जब चलता है तो दरवाजे व खिड़की खुले रहते हैं। चपरासी को जब वे कहते हैं तो दरवाजा खोलता है व बन्द करता है। घटनास्थल के सटे पश्चिम व पूरब के कमरे में कक्षायें चलती हैं। घटनास्थल से उसकी कक्षायें एक कमरे के अन्तराल पर चलती हैं। घटना वाले दिन मैनुद्दीन अंसारी उसे अपने कमरे में 11 बजे बुलाये, उससे पानी मांगे थे, उसे चपरासी द्वारा बताया गया कि मैनुद्दीन अंसारी उसे बुला रहे हैं। पहले वह उसे खुद बुलाये थे। लेकिन उसके द्वारा कहा गया था कि क्लास चल रहा है, अभी नहीं आऊँगी। तब चपरासी सलमान अंसारी उसे बुलाया था। परमावती वर्मा उस समय सज्ञा व प्रधान रचना पढ़ा रही थी। जब मैडम पढ़ा चुकी थी, तब वह मैनुद्दीन के आफिस में 11 बजे पहुंची, वह 11 बजे उनके बुलाने पर अकेले आफिस गयी थी। जब आफिस गयी तो मैनुद्दीन अंसारी ने उससे पानी मांगा, वह मेज पर रखा समोसा खाने को कहा, उसने कहा कि वह समोसा खा लिया है, तब तक उसका सिर भारी होने लगा। पीड़िता के द्वारा कहा गया कि मैनुद्दीन अंसारी उसके साथ गलत काम किये। जब मैनुद्दीन अंसारी उसके साथ गलत काम कर रहा था तो वह समझ रही थी, उस समय वहां पर कोई नहीं था। मैनुद्दीन अंसारी उसको धमकी दिये। मैनुद्दीन के आफिस में कैमरा नहीं लगा हुआ है। उस कमरे की खिड़की झाड़ियों की तरफ खुला था। मैनुद्दीन अंसारी ही वीडियो बनवा रहे होंगे। इतना नहीं पता कि वीडियो किससे बनवाये। वीडियो वायरल करने

की धमकी उनके द्वारा दिया गया था। घटना के पश्चात् वह घर आकर के अपने परिवार व पिता जी को बतायी। मैनुद्दीन अंसारी उसे इतना डरा व धमका दिया कि वह स्कूल में किसी को उस समय घटना के बारे में नहीं बता पायी। वह थाना अपने पापा के साथ शाम को गयी थी। दरोगा जी उसे स्कूल लेकर गये थे।

पीड़िता के द्वारा धारा 180 व 183 बी०एन०एस०एस० के साक्ष्य में स्पष्टतः अभियुक्त मैनुद्दीन अंसारी के द्वारा विद्यालय में कमरे/आफिस में बुलाकर उसे समोसा खिलाकर उसके साथ बलात्कार किये जाने का स्पष्टतः कथन किया है व वीडियो वायरल करने की धमकी का भी स्पष्टतः कथन किया है।

न्यायालय में सशपथ परीक्षा के दौरान भी पीड़िता साक्षी के द्वारा मैनुद्दीन अंसारी के द्वारा दिनांक 07.04.2025 को विद्यालय में अपने कक्ष में बुलाकर उसके साथ गलत काम करने का कथन किया गया है।

पीड़िता साक्षी ने अपने साक्ष्य में यह स्पष्ट किया है कि सर्वप्रथम मैनुद्दीन अंसारी उसे अपने कमरे में बुलाने आये थे, लेकिन उसके द्वारा कहा गया कि अभी कक्षा चल रही है, बाद में विद्यालय का चपरासी सलमान अंसारी उसे बुलाने आया था।

यहीं पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क के प्रतिउत्तर में स्पष्ट कर देना उचित होगा कि सलमान अंसारी को बतौर साक्षी प्रस्तुत न करने से अभियोजन के आरोप व पीड़िता के साक्ष्य की विश्वसनीयता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

महत्वपूर्ण यह भी है कि परमावती वर्मा जो अध्यापिका थी, उनके द्वारा भी अभियोजन के माध्यम से यह स्पष्ट नहीं कराया गया कि पीड़िता कक्षा छोड़कर मैनुद्दीन के आफिस में गयी थी, इस तथ्य से भी अभियोजन के कथानक व पीडिता के साक्ष्य की विश्वसनीयता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। यह भी महत्वपूर्ण नहीं है कि घटना के पश्चात् पीड़िता अपने पिता से घटना के बारे में बतायी है।

न्यायालय के लिए महत्वपूर्ण यह है कि पीड़िता के साथ घटना की दिनांक पर मैनुद्दीन के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म विद्यालय के आफिस में किया गया है। पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि वह स्कूल के अध्यापक लोगों को भी घटना के बारे में बतायी थी, लेकिन प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने कहा कि वह स्कूल में इस घटना के बावत नहीं बता पायी थी। इस छोटे विरोधाभासी कथनों से भी अभियोजन के मुख्य आरोप पर न्यायालय के दृष्टिकोण में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

वीडियो क्लिप न्यायालय के द्वारा देखा गया। यह सत्य है कि वीडियो क्लिप किस मोबाईल से बनाया गया, यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन पीड़िता ने अपने साक्ष्य में यह स्पष्ट किया है कि विद्यालय में खिड़की व दरवाजा था, अभियुक्त के द्वारा ही वीडियो क्लिप बनवाया गया था। कौन वीडियो बनाया था, इसके बारे में पीड़िता को कोई जानकारी नहीं थी।

अभियुक्त पक्ष के द्वारा यह तर्क दिया गया है कि विद्यालय कथित घटना के दिनांक संचालित नहीं था।

अभियोजन के द्वारा पीड़िता की उपस्थिति पंजिका में उसकी उपस्थिति के बावत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, अतः घटना के दिन पीड़िता की उपस्थिति भी संदिग्ध बतायी गयी, जिसके आधार पर अभियोजन कथानक को कपोल–कल्पित व झूठा बताया गया है।

पीड़िता साक्षी ने अपने साक्ष्य में यह स्पष्ट किया है कि वह घटना के दिन स्कूल गयी थी। उस दिन विद्यालय में परमावती वर्मा सज्ञा व प्रधान रचना के बारे में शिक्षित

कर रही थी। पीड़िता के द्वारा स्पष्ट कथन किया गया है कि उस दिन स्कूल खुला था, विद्यालय में सभी छात्र व अध्यापक आये थे। मैनुद्दीन का कक्ष अलग है।

वादी मुकदमा PW–2 अभिमन्यु राव के द्वारा भी स्पष्टतः कथन किया है कि पीड़िता नियत दिनांक को पढ़ने गयी थी। उस दिन विद्यालय खुला था। विद्यालय का समय 08 बजे से 01 या 02 बजे तक चलता था।

साक्षी PW–5 संतोष कुमार वर्मा, प्रधानाचार्य कृषक इण्टर मीडिएट कालेज ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट किया है कि "*दिनांक 07.04.2025 को वह पूरे समय विद्यालय में थे। मैं उस दिन कौन सा कपड़ा पहने था, इतना याद नहीं है। फरवरी माह में बोर्ड परीक्षा संचालित हुआ, परीक्षा समाप्ति के कुछ दिन बा, मेरे साथ अधिकांश अध्यापकों का मूल्यांकन केन्द्र में अलग अलग ड्यूटी लगी। 02 अप्रैल तक जिनकी ड्यूटी लगी थी, वे लोग मूल्यांकन कार्य कर रहे थे। 02 अप्रैल को सभी लोग विद्यालय पर कार्यभार ग्रहण किये। 07 अप्रैल तक बच्चे एडमिशन फार्म के लिए विद्यालय आते थे और कक्षाएं प्रापर संचालित नहीं हो रही थी। उस समय विद्यालय का सेड्यूल 07.30 सुबह से 1.30 बजे दोपहर तक था। मूल्यांकन कार्य मैनुद्दीन अंसारी की भी ड्यूटी लगी थी। 03 अप्रैल को यह विद्यालय में थे, मूल्यांकन कार्य समाप्त हो चुका था। मैंने पीड़िता के पूर्व के विद्यालय के अभिलेख के आधार पर उसकी जन्मतिथि अंकित की थी।*"

साक्षी संतोष कुमार वर्मा के उक्त कथनों से यह स्पष्ट है कि घटना दिनांक 07.04.2025 को विद्यालय में मैनुद्दीन की उपस्थिति रही है और विद्यालय में एडमिशन फार्म के लिए 07 अप्रैल तक बच्चे आते थे। यह अलग तथ्य है कि कक्षायें प्रापर संचालित नहीं हो रही थी। विद्यालय के समय को भी विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा स्पष्ट किया गया, जैसा कि पी़डिता ने भी अपने कथनों में कहा है कि विद्यालय 07.30 बजे से 01.30 बजे तक संचालित होती थी।

साक्षी PW–6 के रूप में संतोष कुमार वर्मा, चुंकि तथ्य के भी साक्षी थे, अपनी मुख्य परीक्षा में साक्षी ने मैनुद्दीन अंसारी को चित्रकला का अध्यापक बताया है। सम्बन्धित अभियुक्त खेल व स्काउट का भी अतिरिक्त अध्यापक था। इसी कारण स्काउट के लिए उन्हें कालेज प्रांगण में एक कमरा आवंटित था। उस कमरे की चाबी मैनुद्दीन अंसारी के पास ही रहती थी। वीडियो में साक्षी ने कहा कि मैनुद्दीन अंसारी ने उसके विद्यालय की छात्रा पीड़िता के साथ बलात्कार करते हुए दिखायी दे रहे थे।

यहां पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति किया गया था, कि साक्षी के द्वारा बलात्कार नहीं बोला गया है, बल्कि यौन शोषण बोला गया है। यहीं पर स्पष्ट कर देना उचित होगा कि बलात्कार की परिभाषा एक निश्चित अपराध के लिए परिभाषित है, लेकिन यौन शोषण के शब्दों में पीड़िता के साथ समस्त लैंगिक अपराध का होना सम्मिलित होता है।

साक्षी के द्वारा वीडियो में जो कमरा दिखायी दे रहा था, उसे विद्यालय परिसर का भी बताया गया। वह कमरा मैनुद्दीन अंसारी को आवंटित किया गया था। साक्षी ने यह भी कहा है कि मैनुद्दीन अंसारी का कृत्य घृणित व निन्दनीय है। मैनुद्दीन अंसारी का कृत्य पूरे समाज व शिक्षक समाज पर धब्बा है।

साक्षी/PW–6 ने प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्पष्ट किया है कि वायरल वीडियो घटना के दिनांक 07.04.2025 की शाम को देखा था, वीडियो खिड़की के पीछे से बनाया गया था। वीडियो में जो व्यक्ति खड़ा था, उसका पीछे से हिस्सा दिखायी दे रहा था। उसका चेहरा देखा था या नहीं उसे स्मरण नहीं है। वीडियो में पुरूष या महिला का प्राईवेट

पार्ट देखा था या नहीं देखा था, उसे याद नहीं है। वीडियो में महिला व पुरूष के द्वारा कौन सा कपड़ा पहना गया था, याद नहीं है। किस मोबाईल से वीडियो बना था, यह भी वह नहीं बता सकता। गांव के व्हाटस्एप ग्रुप में वह जुड़ा था, इस कारण उसने वीडियो वायरल होने पर देखा था।

साक्षी PW–6 संतोष वर्मा के उक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि घटना का वीडियो क्लिप गांव के व्हास्टएप ग्रुप में वायरल होने के पश्चात् उनके द्वारा देखा गया था, चुंकि ये विद्यालय के प्रधानाचार्य भी हैं, मैनुद्दीन अंसारी से इनके कोई व्यक्तिगत पूर्व विवाद व रंजिश नहीं है। लेकिन इस साक्षी ने स्पष्ट किया है कि वीडियो उसके द्वारा देखा गया था, जो व्यक्ति खड़ा था, उसके पीछे का हिस्सा दिखाई दे रहा था।

यह सत्य है कि वीडियो क्लिप को अभियोजन के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया जा सका कि किसके मोबाईल से किस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था, लेकिन साक्षी PW–6 का साक्ष्य इस बिन्दु पर महत्वपूर्ण है। चुंकि वह विद्यालय का प्रधानाचार्य है, वीडियो क्लिप में साक्षी ने उसे देखकर स्पष्ट किया कि उसके विद्यालय का वही कमरा है, जो मैनुद्दीन अंसारी को दिया गया है। यह साक्ष्य भी न्यायालय के लिए महत्वपूर्ण है कि मैनुद्दीन अंसारी अतिरिक्त प्रभार के रूप में स्काउट व खेल के अध्यापक भी हैं। इस कारण उन्हें अलग कमरा आवंटित है।

पीड़िता ने अपने साक्ष्य में पूर्व में ही स्पष्ट किया है कि वह मैनुद्दीन अंसारी के कमरे में उसके बुलाने पर गयी थी, जहां उसे समोसा खिलाकर जब वह अर्द्धविक्षेपित अवस्था में अपने आप को महसूस की तो मैनुद्दीन उसके साथ कपड़े उतारकर बलात्कार किया।

बहस के दौरान यह भी तर्क दिया गया था कि वीडियो क्लिप में कपड़े उतारने का कोई नग्न वीडियो नहीं है। यहां पर सामान्य प्रज्ञा वाला व्यक्ति परिस्थितियों में यह सोच सकता है कि बलात्कार जैसी घटना कारित करने के लिए समस्त कपड़े उतारना आवश्यक नहीं है।

31– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी मौखिक बहस में इस बिन्दु को भी अभियुक्त की निर्दोषिता का आधार बताया कि मुकदमा वादी के द्वारा न्यायालय में साक्ष्य के दौरान छेड़खानी व गलत काम के बारे में कथन किया है तथा वीडियो बनवाने का कथन किया है। बाद में समोसा खाने के बाद बलात्कार की बात बतायी है। वादी के द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि वह प्रार्थना पत्र कहां टाईप कराया था। प्रकरण में पीड़िता की मां, उसके भाई व बहन को गवाह न बनाने के नाते भी अभियोजन के केस को संदिग्ध बताया गया। घटनास्थल भी प्रमाणित नहीं है, क्योंकि पीड़िता ने कहा था कि दरोगा जी उसे स्कूल लेकर गये थे, जबकि विवेचक साक्षी PW–7 ने अपनी जिरह में बताया था कि वह महिला सिपाही के साथ स्कूल गया था। कोई दूसरा स्कूल नहीं गया था। पीड़िता के इस कथन पर भी बल दिया गया कि पीड़िता ने समोसा खाने के बाद कहा कि सिर भारी हो गया था, उसे पता चला कि उसके साथ बलात्कार हो गया, इससे पीड़िता के साक्ष्य को भी अविश्वसनीय बताया गया। पीड़िता के बेहोशी की हालत में उसे कैसे जानकारी मिला कि उसके साथ बलात्कार हुआ है व अभियुक्त के द्वारा वीडियो वायरल करने की धमकी दी गयी है।

न्यायालय के द्वारा अभियुक्त पक्ष के उक्त तर्कों के प्रकाश में पूर्व में ही स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट Encyclopedia नहीं होती है। वादी मुकदमा के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट कथन किया है कि पीड़िता को मैनुद्दीन अंसारी अपने कार्यालय में बुलाकर के उसके साथ छेड़खानी किया और गलत काम किया। गलत काम

किस प्रकार का किया गया, इसे पीड़िता अपने साक्ष्य में स्पष्ट कर दी है। अतः यह तर्क महत्वहीन है। वादी मुकदमा के द्वारा अपनी तहरीर को साबित किया गया है। यह भी महत्वपूर्ण नहीं है कि वह कहां टाईप कराया, इससे अभियोजन कथानक पर कोई विपरीत प्रभाव भी नहीं पड़ता है। बलात्कार के अपराध के लिए यदि पीड़िता का साक्ष्य ही न्यायालय के लिए विश्वसनीय पाया जाता है तो एक मात्र साक्ष्य पर भी अभियुक्त को दण्डित किया जा सकता है, अतः इस प्रकरण में पीड़िता के भाई, मां व बहन को गवाह न बनाने के कारण अभियोजन केस कहीं से संदिग्ध नहीं कहा जा सकता है।

यह सत्य है कि पीड़िता ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट कहा है कि तीसरे दिन दरोगा जी उसको महिला सिपाही के साथ लेकर के स्कूल गये थे।

विवेचक/साक्षी PW–7 ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट कथन किया है कि वादी ने पीड़िता की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया है। नक्शा नजरी कागज सं०–5क/1 प्रदर्श क–8 विवेचक के द्वारा साबित किया गया है, जो कागज सं०–5क/1 के रूप में संलग्न है। घटनास्थल कृषक इण्टरमीडिएट कालेज के अन्दर का है। उस कमरे के ऊपर नम्बरींग अंकित नहीं था। कमरे के ऊपर विवेचक के द्वारा इसका उल्लेख किया गया है कि उत्तर प्रदेश स्काउड गाईड लिखा था, जहां पर घटना को कारित किया गया था। विवेचक ने अपनी प्रतिपरीक्षा में य़ह कथन किया है कि घटनास्थल पर जिस दिन पहुंचे थे उस दिन उसके साथ महिलां कास्टेबल थी और कोई साथ में था या नहीं उसे याद नहीं है। इस कथन से यह नहीं कहा जा सकता है कि घटनास्थल पर पीड़िता की उपस्थिति नहीं थी, क्योंकि विवेचक ने अपने मुख्य परीक्षा के दौरान स्पष्ट किया है कि वादी व पी़डिता की निशानदेही पर उसके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। जहां तक पीड़िता के समोसे खाने के बाद उसके सिर भारी होने के पश्चात् अभियुक्त के द्वारा कमरे में बलात्कार किये जाने की बात कही गयी है। इसके बारे में यह कहा गया है कि जब वह अर्द्धविक्षिप्त हो गयी तो उसे कैसे पता चला कि उसके साथ कैसे बलात्कार किया गया है। यहां पर यह स्पष्ट किया जाना उचित होगा कि कभी कभी अर्द्धविक्षिप्त अवस्था में भी किया गया कार्य की स्मृति रहती है। पीड़िता ने अपने कथनों में पूरी सत्यता से घटना को बार बार सत्यापित किया है।

यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मुकदमा अपराध सं०–707/2022 प्रिंस आदि के विरूद्ध किया गया था, जिसमें एफ०आर० लग गया था।

प्रत्येक अपराध का अलग–अलग मुकदमें योजित कर देने से यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायालय के समक्ष विचारणीय यह मुकदमा झूठा व कपोल–कल्पित है।

साक्षी PW–3 हेड मोहर्रिर चन्द्रजीत यादव औपचारिक साक्षी है। जिनके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित किया गया।

साक्षी PW–4 डॉक्टर विनिषा श्री दिनांक 09.04.2025 को पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण समय 11.00 बजे की हैं। पीड़िता के बाह्य परीक्षण में कोई चोट नहीं पाया गया। पीड़िता के डी०एन०ए० परीक्षण हेतु सैम्पल लिये गये। मेडिकल परीक्षण 11.15AM से प्रारम्भ करके 01.00 PM तक पूर्ण किया गया। प्रतिपरीक्षा के दौरान डाक्टर साक्षी के द्वारा यह कहा गया कि पीड़िता की स्थिति सामान्य थी। डाक्टर ने यह भी स्पष्ट किया है कि Intoxicating का प्रभाव पदार्थ पर निर्भर करता है। उनके द्वारा इस बावत कोई मेडिकल जांच नहीं किया गया था। घटना के 49 घण्टे बाद मेडिकल परीक्षण किया गया था। स्पर्म पीड़िता के यूटरस में 2 से 7 तक दिन तक रह सकता है। वेजाइना अगर धुली न

हो तो 24 से 48 घण्टे तक स्पर्म लिया जा सकता है। पीड़िता के शरीर पर कोई लैंगिक हिंसा का लक्षण नहीं था।

मेडिकल परीक्षण के आधार पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क लिया गया था कि पीड़िता के शरीर पर कोई लैंगिक हमला/हिंसा के कोई चिन्ह नहीं थे। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट अभियुक्त के विरूद्ध नहीं पायी गयी।

यहीं पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट का उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण होगा, जो कागज सं०-25क/1 प्रदर्श क-12 के रूप में संलग्न है। प्रदर्श 7 सलवार पीड़िता पर बायोलाजिकल द्रव्य का मिलान मैनुद्दीन अंसारी से नहीं हो सका। स्रोत प्रदर्श 3 वेजाइनल स्लाईड व स्वाब पीड़िता में भी पुरूष एलील की उपस्थिति नहीं पायी गयी।

डॉक्टर ने अपने साक्ष्य में यह स्पष्ट किया था कि पीड़िता का मेडिकल घटना के 49 घण्टे बाद किया गया था। डाक्टर ने अपने साक्ष्य में यह भी स्पष्ट किया है कि पीडिता के वेजाइना में अगर उसे धुला न गया हों तो 24-48 घण्टे तक स्पर्म लिया जा सकता है।

यहां पर उल्लेखनीय यह है कि पीड़िता के साथ कथित अपराध दिनांक 07.04.2025 को दिन के 11.00 बजे किया गया था, उसका मेडिकल परीक्षण दिनांक 09.04.2025 को समय 11.00 AM से प्रारम्भ करके 01.00 PM तक किया गया था। अतः यह स्पष्ट है कि दो दिनों के अन्दर पीड़िता अपने शरीर को स्वच्छ की होगी, स्नान भी की होगी। इस कारण यह कहा जा सकता है कि पीड़िता के वेजाइनल स्वाब व स्लाइड में पुरूष एलील की उपस्थिति नहीं पायी गयी।

जैसा कि सम्बन्धित डाक्टर ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट किया है कि वेजाइना में अगर, वेजाइना नहीं धुली हो तो 24-48 घण्टे तक स्पर्म लिया जा सकता है।

परिस्थितियां यह स्पष्ट करती हैं कि पीड़िता दो दिनों तक निश्चित ही अपने शरीर के अंगों को साफ की होगी। पीड़िता से इस बिन्दु पर कोई प्रश्न भी नहीं पूछा गया था।

विवेचक साक्षी PW-8 नागेन्द्र कुमार सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट किया है कि वस्तु प्रदर्श 1 के रूप में एक अदद VIVO मोबाईल उसे परवेज द्वारा प्राप्त कराया गया था, जो न्यायालय के आदेश से खोला गया। जिस पर पुनः प्रदर्श 2 अंकित किया गया। प्रदर्श क-9 कागज सं०-6क/2 फर्द कब्जा एक अदद सलवार, कमीज, स्कूल ड्रेस को देखकर पीड़िता ने बताया कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजने हेतु मालखाने में उसके द्वारा दाखिल किया गया था। फर्द बरामदगी पर विवेचक के द्वारा यह स्वीकार किया गया कि पीडिता व उसके परिवार के हस्ताक्षर नहीं हैं। इसी बिन्दु को अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा अपने बहस का विषय भी बनाया गया था। फर्द बरामदगी यदि विवेचक के द्वारा साबित किया गया है तो मात्र उस पर पीड़िता के या वादी के हस्ताक्षर न होने से अभियोग के विरूद्ध कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विवेचक साक्षी PW-7 विज्ञानकर सिंह ने यदि पीड़िता की उपस्थिति पंजिका व उसकी उपस्थिति के बावत विवेचना नहीं किया है तो यह विवेचना की त्रुटि हो सकती है। लेकिन पीड़िता ने व विद्यालय के प्रधानाचार्य व वादी मुकदमा के घटना की तिथि पर विद्यालय में पीड़िता की उपस्थिति व मैनुद्दीन की उपस्थिति के बारे में स्पष्ट कथन करते हुए उसे प्रमाणित भी किया है। विवेचना के दौरान आरोपी का मोबाईल रिकवर न करना भी इस प्रकरण में महत्वपूर्ण नहीं है। यह विवेचना की एक त्रुटि मानी जा सकती है।

महत्वपूर्ण यह भी है कि इस प्रकरण में अग्रिम विवेचना धारा-67 आई०टी० एक्ट के अन्तर्गत कुछ अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध प्रचलित बताया गया था। अभियुक्त

मैनुद्दीन अंसारी के विरूद्ध धारा 64(2),351(3) बी०एन०एस० व धारा 5(च)/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत आरोपपत्र प्रेषित किया गया था, उन्हीं धाराओं में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया था एवं अभियुक्त के विरूद्ध आरोप भी विरचित किया गया था।

कागज सं०-25क/2 प्रदर्श क-11 VIVO मार्का मोबाईल फोन जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था, वह डिजिटली लाक होने के कारण डाटा रिकवर नहीं हो सका था। यह विवेचक की त्रुटि है कि यदि प्रेषित मोबाईल डिजिटली लाक था तो, जिससे मोबाईल को बरामद कराया गया था, उसे प्रस्तुत कर उसका लाक खुलवाकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजना चाहिए था। लेकिन न्यायालय के समक्ष विचाराधीन इस वाद में धारा 67 आई०टी० एक्ट के अन्तर्गत आरोप नहीं विरचित किया गया था। पीड़िता के साथ घटित घटना का परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत साक्षीगण के साक्ष्य के आधार पर किया गया। न्यायालय के द्वारा पीड़िता को पूर्णतः विश्वसनीय पाया गया। पीड़िता के साक्ष्य का समर्थन वादी मुकदमा के द्वारा भी किया गया। इससे भी महत्वपूर्ण साक्ष्य साक्षी PW-6 विद्यालय के प्रधानाचार्य सन्तोष कुमार वर्मा का था, जिन्होंने विद्यालय में पीड़िता की व अभियुक्त की उपस्थिति घटना की तिथि को प्रमाणित किया है। यह भी स्पष्ट किया है कि अभियुक्त मैनुद्दीन अंसारी के पास अतिरिक्त प्रभार के रूप में खेल व स्काउट की जिम्मेदारी थी। इसी कारण उन्हें अलग कमरा आवंटित था। विवेचक ने नक्शा नजरी में घटनास्थल को स्पष्ट करते हुए यह लिखा है कि कमरा नं०-X घटनास्थल है, जिस पर खेल व स्काउट कमरे पर लिखा पाया गया। प्रधानाचार्य संतोष कुमार वर्मा ने अपने साक्ष्य के दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि उनके विद्यालय में कोई सी०सी०टी०वी० कैमरा नहीं है। घटनास्थल वाला कमरा मैनुद्दीन अंसारी को स्काउट व खेल के लिए आवंटित किया गया है, जिसकी चाबी भी मैनुद्दीन के पास रहती है।

अतः साक्ष्य की कड़ी एक दूसरे से इतने सशक्त तरीके से न्यायालय के द्वारा जुड़ा पाया गया, जिससे पीड़िता का साक्ष्य स्वतः में पूरी तरह से विश्वसनीय है। प्रधानाचार्य के द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उसे मैनुद्दीन अंसारी की चारित्रिक शिकायत, उसे पूर्व में भी मौखिक रूप से मिलती थी। कोई प्रमाणित चींजे नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है। मैनुद्दीन अंसारी के कृत्य से विद्यालय की छवि धुमिल हुई है, व पूरा समाज प्रभावित हुआ है।

यहाँ पर यह कहना भी प्रसांगिक होगा कि घटना के पश्चात् प्रत्येक साक्षी से यह आशा करना कि वह पंक्ति-दर-पंक्ति हर जगह एक ही साक्ष्य प्रस्तुत करें यह सम्भव नहीं है, ऐसे साक्षी को पढाया हुआ साक्षी की संज्ञा दी गयी है, जैसा कि **जीतू उर्फ अजित कुमार बनाम एच०पी० राज्य (1990) क्राईम्स 315** में यह निर्णय दिया गया कि *"बयान में भिन्नता होना स्वाभाविक है। इन अल्प भिन्नताओं के अभाव में उनका बयान रट्टू तोते की तरह होगा। किसी घटना के सत्य स्पष्ट और औचित्यपूर्ण विवरण में इस प्रकार की भिन्नता होती ही है। अतः साक्षीगण के बयान में इस प्रकार की भिन्नता तत्वपूर्ण नहीं है। आगे यह कि प्रमाणीकरण सदैव आवश्यक नहीं है।"*

पीड़िता पी०डब्लू-1 के उपर्युक्त बयानों के संदर्भ में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा-29 अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें यह प्रावधान है कि *"Presumption as to certain offences. Where a person is prosecuted for committing or abetting or attempting to commit any offence under sections 3, 5, 7 and section 9 of this act , the special Court shall*

presume, that such person has committed or abetted or attempted to commit the offence, as the case may be, unless the contrary is proved."

अतः उपर्युक्त प्रावधान के आलोक पीड़िता के धारा–180 व धारा–183 बी०एन०एस०एस० एवं न्यायालय में दिये गये बयान को देखते हुए धारा–29 लैंगिक अपराधो के बालको के संरक्षण अधि० 2012 को ध्यान में रखते हुए पीड़िता का साक्ष्य के संबंध में न्यायालय की उपधारणा भी रहेगी।

32– मौखिक बहस के दौरान अभियुक्त पक्ष की तरफ से अनेक ऐसे तर्क दिये गये, जिसके आधार पर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया कि अभियोजन की त्रुटि का लाभ अभियुक्त पक्ष को प्राप्त होना चाहिए। इस बिन्दु पर यह कहना न्यायसंगत होगा कि यदि बलात्कार की पीड़िता घटना को पूरी तरह से प्रमाणित कर रही है तो अभियोजन की किसी त्रुटि का लाभ अभियुक्त पक्ष को देना न्याय के विपरीत होगा।

33– न्यायालय के दृष्टिकोण में बलात्कार के प्रत्येक मामले में साक्ष्य की संपुष्टि आवश्यक नहीं होती है। क्योंकि ऐसा अपराध ऐसी स्थिति में किया जाता है कि उसका प्रत्यक्ष साक्ष्य मिलना असम्भव होता है और परिस्थितियों के साक्ष्य पर ही निर्भर होना पड़ता है। बलात्कार के मामले में जब कभी भी साक्ष्य के सम्पुष्टि की आवश्यकता हो, ऐसी सम्पुष्टि स्वतंत्र माध्यमों से होनी चाहिए। किन्तु इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि अभियोक्त्री के साक्ष्य के प्रत्येक अंश की सम्पुष्टि विस्तारपूर्वक हो। ऐसी सम्पुष्टि प्रत्यक्ष अथवा पारिस्थितिक साक्ष्य से हो सकती है।

बलात्कार के अपराध में साक्ष्य की सम्पुष्टि पर केवल तभी जोर दिया जाना चाहिए जब यह प्रतीत हो कि बलात्कार की पीड़िता महिला ईर्ष्या द्वेष से अभियुक्त को फंसा रही हों। **{भरवाड़ा भोगिन भाई हीरजी भाई ब० गुजरात राज्य, ए०आई०आर० 1983 सु०को० 753 : 1983 (3)}**

34– न्यायालय के समक्ष विचाराधीन इस आपराधिक वाद में पीड़िता के साथ अभियुक्त मैनुद्दीन अंसारी के द्वारा कथित घटना के दिन पीड़िता को अपने अध्यापक कक्ष में बुलाकर के समोसा खिलाकर उसके साथ लैंगिक अपराध/बलात्कार किया गया व किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया गया। उसके वीडियो वायरल करने की भी धमकी उसे दी गयी, जिसे पीड़िता व अभियोजन साक्षीगण ने अपने साक्ष्य से पूरी तरह से प्रमाणित व साबित किया है।

35– न्यायालय के द्वारा अभियोजन के समस्त साक्षीगण का सम्यक परिशीलन किया गया।

36– पीड़िता के उक्त बयानों को लैंगिक अपराधो के बालको के संरक्षण अधि० की धारा–29 के प्रावधानों के आलोक में विचार करने पर यह प्रकट होता है कि पीड़िता पी०डब्लू०–1 एक विश्वसनीय साक्षी प्रकट हुई है और प्रश्नगत प्रकरण में घटना की जो तहरीर पीड़िता के पिता पी०डब्लू०–2 के द्वारा घटना कारित होने के दिन थाने पर तहरीर देकर प्रस्तुत करके यह मुकदमा पंजीकृत कराया गया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित होने के पश्चात् विवेचक द्वारा पीड़िता के धारा–180 बी०एन०एस०एस० के बयान अंकित कराये गये तथा उसके पश्चात् मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता का धारा–183 बी०एन०एस०एस० का बयान अंकित कराया गया, जिसे पीड़िता द्वारा प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया है। वादी मुकदमा व साक्षी PW–6 संतोष कुमार वर्मा के द्वारा घटना को पूरी तरह से अपने साक्ष्य से सत्यापित व प्रमाणित किया है।

37– उक्त परिचर्चा से पीड़िता का नाबालिक होना स्पष्ट है। न्यायालय में परीक्षित साक्षीगण मुख्यतः पी०डब्लू–1, पी०डब्लू–2 व पी०डब्लू–6 के साक्ष्य से अभियुक्त मैनुद्दीन अंसारी के द्वारा दिनांक 07.04.2025 को बहद स्थान कृषक इण्टर कालेज मल्लूडीह थाना कसया जिला कुशीनगर में अध्यापक के पद पर रहते हुए पीड़िता को अपने कमरे में बुलाकर उसे समोसा खिलाकर बलात्कार कर यौन उत्पीड़न करके गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किये जाने व किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने व जान से मारने की धमकी दिये जाने का आरोप पूर्णतः प्रमाणित व स्थापित है। अतः अभियोजन के द्वारा अभियुक्त मैनुद्दीन अंसारी के विरूद्ध युक्ति–युक्त सन्देह से परे अपराध को साबित किया गया है।

38– इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण व निष्कर्षों के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्य एवं अभिलेखीय साक्ष्य से अभियोजन पक्ष, अभियुक्त मैनुद्दीन अंसारी पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–**64(2),351(3) बी०एन०एस०** एवं धारा–**5 च/6** लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

अतः अभियुक्त मैनुद्दीन अंसारी अन्तर्गत धारा– **64(2),351(3) बी०एन०एस०** एवं धारा–**5 च/6** लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में सिद्धदोष किये जाने योग्य है

आदेश

अभियुक्त मैनुद्दीन अंसारी पुत्र स्व० मोहम्मद हदीश अली, साकिन वार्ड नं०–7 सिद्धार्थनगर मल्लूडीह थाना कसया जिला कुशीनगर को विशेष सत्र परीक्षण संख्या–709/2025 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मैनुद्दीन अंसारी, मु०अ०सं०–212/2025, थाना–कसया, जिला–कुशीनगर से संबंधित के प्रकरण में धारा–**64(2),351(3) बी०एन०एस०** व **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा–5 च/6** में सिद्धदोष करार किया जाता है। अभियुक्त मैनुद्दीन अंसारी जरिये वी०सी० उपस्थित है।

पत्रावली अभियुक्त मैनुद्दीन अंसारी की सजा के बिन्दु पर सुनने हेतु लन्च बाद पुनः पेश हो।

दिनांकः 06.11.2025 **(दिनेश कुमार–II)**

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट,
कुशीनगर, स्थान–पडरौना।
आई०डी० नं०–UP1862

आज यह उपरोक्त निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 06.11.2025 **(दिनेश कुमार–II)**

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट,
कुशीनगर, स्थान–पडरौना।
आई०डी० नं०–UP1862

लन्च बाद,

<u>दिनांकः 06.11.2025</u>

दोषसिद्धि अभियुक्त–मैनुद्दीन अंसारी पुत्र स्व० मोहम्मद हदीश अली की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुना गया।

अभियुक्त की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। अभियुक्त पेशे से अध्यापक है, 58 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका है। अभियुक्त के ऊपर उसके परिवार के सदस्य निर्भर हैं। अतः अभियुक्त को कम–से–कम सजा (दण्डावधि) एवं कम–से–कम अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी।

अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त पर आरोप लगाया है कि दिनांक 07.04.2025 को अभियुक्त के द्वारा वादी मुकदमा अभिमन्यु राव की नाबालिक लड़की पीड़िता, जो स्कूल पढ़ने के लिए गयी थी, के साथ स्कूल के कमरे में ले जाकर उसके साथ, उसे समोसा खिलाकर जब वह अचेत हो गयी तो उसके साथ प्रवेशन लैंगिक हमला कारित करते हुए बलात्कार जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है, उक्त कृत्य का वीडियो वायरल करने व जान से मारने की धमकी दिया गया है।

विवेचना उपरान्त मैनुद्दीन अंसारी के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया गया। न्यायालय के द्वारा निर्णय पारित करते समय अभियुक्त मैनुद्दीन अंसारी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–64(2),351(3) **बी०एन०एस०** व धारा–5 **च/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम** के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया गया।

अभियोजन के द्वारा नाबालिग पीड़िता के साथ अभियुक्त द्वारा किये गये अपराध को देखते हुए उसके प्रति किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाए। अभियुक्त के द्वारा अध्यापक के पद पर रहते हुए, अध्यापक पद की गरिमा को धुमिल कर उक्त आशय का कृत्य कारित किया है, समाज में ऐसे अपराधियों को कठोरतम दण्ड से दण्डित किये जाने से ही समाज में ऐसे अपराधों की वृद्धि पर रोक लग पाएगी। अपराध की गम्भीरता का तर्क प्रस्तुत करते हुए अभियुक्त को अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा–42 में प्रावधानित है।

धारा–64(2) बी०एन०एस० में सजा का प्रावधान–(1) जो कोई उपधारा (2) में उपबंधित मामलों के सिवाय, बलात्संग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कठोर कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा औऱ जुर्माने का भी दायी होगा।

लैंगिक अपराधों से बालको के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा–5 मे इस बात का उल्लेख है कि, गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला को परिभाषित किया गया है, जिसकी उपधारा–च में परिभाषित है कि, "जो कोई, किसी शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था का प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुए उस संस्था में किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक

हमला करता है, उसे दण्डनीय अपराध बताया गया है, जिसका दण्ड उक्त अधिनियम की धारा–6 में प्रावधानित है।

लैंगिक अपराधों से बालको के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा– 6 में निम्नलिखित दण्ड का प्रावधान है। जो गुरूतर प्रवेशन, लैंगिक हमला करेगा, वह कठिन करावास से जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिये कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा, और जुर्माने से भी दायी होगा या मृत्यु से दण्डित किया जायेगा। इस प्रकार लैंगिक अपराधों से बालको के संरक्षण की अधिनियम की धारा 6, भारतीय दण्ड संहिता की धारा–64(2) बी०एन०एस०एस० से गुरूतर है। इसलिये उपरोक्त अपराधी अन्य धाराओं के साथ–साथ बालको संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा–6 के तहत दण्ड पाने के भागीदार होगें।

न्यायालय के दृष्टिकोण में बलात्कार के मामले में दण्ड का मापदंड पीड़िता या अभियुक्त की सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर नहीं कर सकती है। यह अभियुक्त के आचरण, लैंगिक हमले की पीड़िता महिला की दशा तथा उसकी आयु तथा दाण्डिक कृत्य की गम्भीरता पर निर्भर करती है। स्त्री पर हिंसा के अपराध पर कठोरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है। सामाजिक, आर्थिक प्रास्थिति, धर्म, प्रजाति, जाति या वर्ग दण्डादेश की नीति में असंगत बातें हैं। समाज की सुरक्षा तथा अपराधियों को भय विधि का मुख्य उद्देश्य है और समुचित दण्ड अधिरोपित कर उसे प्राप्त किए जाने की आवश्यकता है। दण्ड अधिरोपित करने वाले न्यायालय से यह आशा की जाती है कि वह दण्डादेश पर प्रभाव डालने वाले सभी सुसंगत तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार करे तथा ऐसे दण्ड अधिरोपित करने के लिए कार्यवाही करें जो अपराध की गंभीरता के अनुरूप हो। न्यायालयों को कोमलवय, निर्दोष असहाय लड़कियों के साथ बलात्कार के जघन्य अपराध के मामलों में समाज द्वारा न्याय के लिए गुहार को अवश्य ही सुनना चाहिए तथा उचित दण्ड अधिरोपित कर उसका अन्तर देना चाहिए। सार्वजनिक इच्छा को न्यायालय के समुचित दण्डादेश के अधिरोपण के माध्यम से प्रकट किये जाने की आवश्यकता है। अभिलेख पर कोई भी प्रचलनकारी परिस्थितियां उपलब्ध नहीं है जो प्रत्यक्षी पर न्यूनतम विहित दण्डादेश से कम कोई दण्डादेश को उचित ठहराये। ऐसे जघन्य अपराध के मामले को दया दर्शाना न्याय की अपहानि होगी तथा उदारता का तर्क पूर्ण तथा भ्रामक होगा।

भारतवर्ष में नारी की स्थिति का उल्लेख महाकाव्यों में करते हुए कहा गया है कि **''यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता।''** यह उद्धरण स्त्रियों के सम्मान की रक्षा के लिए लिखे गये। लेकिन आज के परिवेश में स्त्रियों की स्थिति में निरन्तर गिरावट आती जा रही है व समाज में ऐसे अपराध की समय–समय पर पुनरावृत्ति हो रही है।

धर्मग्रन्थों में भी कन्या को कुदृष्टि से देखने पर उसका वध कर देना उचित माना गया है। रामचरित मानस में यह कहा गया है कि–

"अनुज बधू भागिनी सुत नारी। सुनु सठ कन्या सम ए चारी ।।

इन्हहि कुदृष्टि बिलोकइ जोई। ताहि बधे कछु पाप न होई।। "

इसका अर्थ है कि हे मुर्ख ! सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहिन, पुत्र की स्त्री और कन्या ये चारों समान है। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है, उसका वध करने में कोई पाप नहीं होता।

"भारतीय संस्कृति में, गुरू–शिष्य का संबंध केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र और गहरा रिश्ता है जो चरित्र निर्माण, नैतिक और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देता है। गुरू को पूजनीय माना जाता है, जो शिष्य को सही मार्ग दिखाते हैं और ज्ञान देते हैं, जबकि शिष्य का कर्तव्य गुरू के प्रति पूर्ण श्रद्धा और सम्मान के साथ उनके निर्देशों का पालन करना है। इस परंपरा का उद्देश्य आत्म–साक्षात्कार और जीवन के संतुलन के लिए ज्ञान का संचार करना है।"

अभियुक्त मैनुद्दीन अंसारी पेशे से अध्यापक जैसे पवित्र पद पर आसीन था, उसके द्वारा अपने ही विद्यालय के शिष्या के साथ पानी देने के बहाने अपने विद्यालय के कक्ष में बुलाकर समोसा खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया, साथ ही साथ किसी को न बताने की धमकी दी गयी, उसके द्वारा बनाये गये वीडियो को वायरल करने व जान से मारने की धमकी दी गयी। इस प्रकार अभियुक्त का कृत्य अत्यन्त निंदनीय, पशुतापूर्ण पाया गया, अभियुक्त के इस कृत्य से सम्पूर्ण समाज में शिक्षक जैसे पवित्र पद पर एक कालिख पोती गयी। विद्यालय में भी यदि बालिकायें सुरक्षित नहीं हैं तो यह बालिकाओं के माता–पिता के लिए अत्यन्त चिन्ता का विषय हो सकता है। स्त्रियों को भारतीय संविधान के अन्तर्गत पुरूष के बराबर अधिकार दिये गये हैं। लेकिन इस स्वतंत्र भारत में समय–समय पर ऐसा देखा जाता है कि स्त्री अपनी आत्मा से आज भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है।

न्यायालय के द्वारा सम्पूर्ण विचारण के दौरान अभियुक्त मैनुद्दीन अंसारी जब भी जिला कारागार से न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो न्यायालय के द्वारा प्रत्येक तिथियों पर यह पाया गया कि अभियुक्त के चेहरे पर लेस मात्र का भी उसके ऊपर लगाये गये आरोप का कोई पश्चताप नहीं था। यह कृत्य भी स्पष्ट करता है कि वह एक कठोर व निर्दयी व्यक्ति है। साक्षी PW–6 विद्यालय के प्रधानाचार्य संतोष कुमार वर्मा ने भी अपने साक्ष्य में यह कहा है कि मैनुद्दीन अंसारी के चारित्रिक शिकायतें उसे मौखिक रूप से मिलती थी, लेकिन कोई प्रमाणित चीजें नहीं मिलने के कारण कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं किया गया।

लैंगिक अपराध के प्रकरण में प्रायः यह पाया जाता है कि यदा–कदा ही कोई व्यक्ति अपराध की शिकायत करने की सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए कदम उठाता है।

अभियुक्त के उक्त कृत्य को देखते हुए उसके प्रति दण्ड के प्रश्न पर उदारता का दृष्टिकोण अपनाना पीड़िता के साथ–साथ इस समाज के साथ भी अन्याय होगा। लैंगिक अपराध के प्रकरण में पीड़िता के साथ केवल उसी क्षण अपराध नहीं होता है, बल्कि अपने जीवनपर्यंत पीड़िता जब जब उस घटना की स्मृति करती है, तब–तब उसके मनःमस्तिष्क में उस अपराध की पुनरावृत्ति होती रहती है।

इस प्रकार त्वरित न्याय व उचित दण्डादेश से ही इस अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये अभियोजन प्रपत्रों एवं अपराध की गम्भीरता तथा अभियुक्त की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय की राय में अभियुक्त– **मैनुद्दीन अंसारी स्व० मोहम्मद हदीश अली** को **लैंगिक अपराधों से बालको के संरक्षण की अधिनियम की धारा–6 के अन्तर्गत आजीवन कारावास,** जिसका अभिप्राय अभियुक्त

मैनुद्दीन अंसारी के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए होगा, के कठिन कारावास तथा मु०–**5,00,000/–रू०** (पाँच लाख रूपये), अर्थदण्ड तथा उक्त अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे **02 (दो)** वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास तथा धारा–351(3) **भारतीय न्याय संहिता** के आरोप में **04 (चार) वर्ष** के कठोर कारावास तथा मु०–**25,000/–रू०** **(पच्चीस हजार रूपये),** अर्थदण्ड तथा उक्त अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे **06 (छः)** माह के अतिरिक्त कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किये जाने से न्याय की मंशा पूर्ण होगी, तदनुसार निम्नलिखित दण्डादेश पारित किया जाता है।

आदेश

अभियुक्त–मैनुद्दीन अंसारी पुत्र स्व० मोहम्मद हदीश अली, साकिन वार्ड नं०–7 सिद्धार्थनगर मल्लूडीह थाना कसया जिला कुशीनगर को विशेष सत्र परीक्षण संख्या–709/2025 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मैनुद्दीन अंसारी, मु०अ०सं०–212/2025, थाना–कसया, जिला–कुशीनगर से संबंधित के प्रकरण में **लैंगिक अपराधों से बालको के संरक्षण की अधिनियम की धारा– 6** के अन्तर्गत के अन्तर्गत **आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय अभियुक्त मैनुद्दीन अंसारी के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए होगा, के कठिन कारावास तथा मु०–5,00,000/–रू० (पाँच लाख रूपये)**, अर्थदण्ड तथा उक्त अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे 02 (दो) वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास व्यतीत करना होगा।

अभियुक्त मैनुद्दीन अंसारी को **धारा–351(3) भारतीय न्याय संहिता के आरोप में 04 (चार) वर्ष के कठोर कारावास तथा मु०–25,000/–रू० (पच्चीस हजार रूपये), अर्थदण्ड तथा उक्त अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे 06 (छः) माह के अतिरिक्त कठोर कारावास** व्यतीत करना होगा।

सम्पूर्ण आरोपित धनराशि का 80% हिस्सा नाबालिग पीड़िता को जरिए नैसर्गिक संरक्षक/वादी मुकदमा, प्रतिकर के रूप में देय होगा। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त–**मैनुद्दीन अंसारी पुत्र स्व० मोहम्मद हदीश** द्वारा कारागार में पूर्व में बितायी गयी अवधि आरोपित दण्डावधि में समायोजित की जाएगी। उक्त सभी दण्डादेश साथ–साथ चलेंगी।

दिनांकः 06.11.2025 **(दिनेश कुमार–II)**
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट,
कुशीनगर, स्थान–पडरौना।
आई०डी० नं०–UP1862

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इस निर्णय/आदेश की एक प्रति तत्काल अभियुक्त–मैनुद्दीन अंसारी को निःशुल्क प्राप्त करायी जाए।

इस दण्डादेश की एक प्रति जिलाधिकारी, कुशीनगर को भी प्रेषित हो।

दिनांकः 06.11.2025 **(दिनेश कुमार–II)**
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट,
कुशीनगर, स्थान–पडरौना।
आई०डी० नं०–UP1862

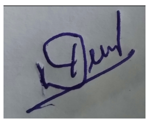

Digitally signed by
Dinesh Kumar
Date: 2025.11.06
16:42:33 IST
Reason: Document
Owner
Location: Addl. District
and Sessions
judg/Pocso Act